



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८



छत्रकोट गाउँपालिका
गुल्मी



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल

Serving the Nation and the People

दूरदृष्टि (Vision)

जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने ।

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and integrity for the benefit of the people)

गन्तव्य (Mission)

सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवम् गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने ।

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public funds are efficiently used)

मूल्य मान्यता (Core Values)

| | |
|-------------|-------------------|
| निष्ठा | (Integrity) |
| स्वतन्त्रता | (Independence) |
| व्यवसायिकता | (Professionalism) |
| पारदर्शिता | (Transparency) |
| जवाफदेहिता | (Accountability) |



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu, Nepal
प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय
(लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश)

प.स: २०७८।७९

च.न: ६०

मिति: २०७८।५।४

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्षज्यू,

छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ ।

नारायण एम.सी.

(नायव महालेखापरीक्षक)

बोधार्थ:

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,

सिंहदरवार, काठमाडौं — प्रतिवेदन संलग्न छ ।

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको २०७६।७७ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्ययीता, दक्षता र प्रभावकारीता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय ठेक्का व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन न्यून रहेको, पर्याप्त आधार बेगर राजस्व छुट दिएको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, खरिद कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, बचत अनुदान फिर्ता नगरेको, वितरणमूखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्के आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, टोकिएबमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दीर्घकालीन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् ।

स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, बैंक हिसाब विवरण तयार गर्ने नगरेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा लेखा समितिको गठन, कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फछ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार गरी गत विगतका बेरुजू उपर अपेक्षितरूपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बावजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

(टंकमणि शर्मा, दंगाल)

महालेखापरीक्षक

२०७८ भाद्र ४ गते



महालेखापरीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor General

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu, Nepal
प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय
(लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश)

पत्र संख्या: २०७८/७९

च.नं. ६०

मिति: २०७८।५।१४

श्री अध्यक्षयजू,
छत्रकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, गुल्मी ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

कैफियत सहितको राय

हामीले छत्रकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को वित्तीय विवरण र त्यससङ्ग सम्बन्धित आय व्यय विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित आय व्यय विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून र परम्परा बमोजिम सारभूत रूपमा सहि तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको रायव्यक्त गर्ने आधार

१. लेखापरीक्षणबाट रु.९४ लाख ११ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१० लाख ५३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.६८ लाख ७३ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु.१४ लाख ८५ हजार रहेको छ ।
२. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरूका सम्बन्धमा मिति २०७७।११।२३ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहितका प्रमाण कागजातका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना तीस (३०) यसै साथ संलग्न छ ।
३. आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकीन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।


हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसङ्ग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसङ्ग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचार संहिता अनुसार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गलतिका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यकारिणी, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गलति समेतका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको होस् भनी उचित आश्रस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्रस्तताले सामान्य स्तरको आश्रस्तता सम्मप्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसङ्ग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गलति पत्ता लगाउने सक्ने निश्चितता भने हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विषेश वा जालसाजीजन्य वा अन्य गलतिलाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।


(नारायण एम.सी.)
नायब महालेखापरीक्षक

छत्रकोट गाउँपालिका
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७६।७७

परिचय – स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु यस गाउँपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस गाउँपालिका अन्तर्गत ६ वडा, ३४ सभा सदस्य, ८७.१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा २१ हजार ४८१ जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानिय सञ्चितकोष : आर्थिक वर्ष २०७६।७७ स्थानिय सञ्चित कोष आय व्यय हिसाबको संश्रिस अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ ।

| सि. | आयतर्फ | | | सि. | व्ययतर्फ | | |
|-----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | विवरण | रकम | रकम | | विवरण | रकम | रकम |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | 57593925.58 | १ | चालु खर्च | 312894175.91 | 312894175.91 |
| | क) नगद | | 00 | २ | पूँजीगत खर्च | 129974153.00 | 129974153.00 |
| | ख) बैंक | 49459734.40 | 00 | ३ | वित्तिय व्यवस्था भुक्तानी | | 00 |
| | घरौटी मौज्दात | 3308541.00 | 00 | क) ऋण भुक्तानी | | 00 | |
| | विभिन्न कोष मौज्दात | 4825650.18 | 00 | ख) ब्याज भुक्तानी | | 00 | |
| २ | राजस्व (आन्तरिक आय) | | 51987476.51 | ग) अन्य भुक्तानी | | 00 | |
| | क) आन्तरिक राजस्व | 3094334.00 | 00 | ४ | लगानी | | 00 |
| | ख) राजस्व बाँडफाँड संघ | 48487359.51 | 00 | ऋण लगानी | | 00 | |
| | ग) राजस्व बाँडफाँड प्रदेश | | 00 | शेयर लगानी | | 00 | |
| | घ) मालपोत राजस्व | 405783.00 | 00 | | | 00 | |
| ३ | वित्तिय हस्तान्तरण संघ | | 298149000.00 | अन्य लगानी | | 00 | |
| | क) वित्तिय समानीकरण अनुदान | 88300000.00 | 00 | ५ | घरौटी फिर्ता | 841149.00 | 841149.00 |
| | ख) सशर्त अनुदान | 189928000.00 | 00 | ६ | जनश्रमदान फिर्ता | | 00 |
| | ग) समपुरक अनुदान | 4921000.00 | 00 | ७ | कोष फिर्ता | | 00 |
| | घ) विशेष अनुदान | 15000000.00 | 00 | ८ | मौज्दात | | 65108488.88 |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान | | 34230000.00 | क) बैंक मौज्दात | 65108488.88 | | 00 |
| | क) वित्तिय समानीकरण अनुदान | 4133000.00 | 00 | ख) नगद मौज्दात | | | 00 |
| | ख) सशर्त अनुदान | 8000000.00 | 00 | ९ | शसर्त अनुदान फिर्ता | 21142645.52 | 21142645.52 |
| | ग) समपुरक अनुदान | 13897000.00 | 00 | क) संघिय अनुदान | | | 00 |
| | घ) विशेष अनुदान | 8200000.00 | 00 | ख) प्रदेश अनुदान | | | 00 |
| ५ | अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त | | 00 | ग) सामाजिक सुरक्षा | | | 00 |
| ६ | अन्य | | 00 | घ) संघिय समपुरक | | | 00 |
| | क) क्षेत्रीय शहरी विकास योजना | | 00 | ड) संघिय समपुरक | | | 00 |
| | ख) सडक बोर्ड नेपाल | | 00 | १० | गत वर्षको बढी अल्या | | 00 |
| | ग) पर्यटन बोर्ड नेपाल | | 00 | ११ | जनश्रमदान मौज्दात | | 00 |
| | घ) एन एन एस डब्लु ए | | 00 | १२ | घरौटी मौज्दात | 4635835.00 | 4635835.00 |
| ७ | विभिन्न कोषतर्फको आय | 12347821.88 | 12347821.88 | १३ | कोष खाताको मौज्दात | 6026593.66 | 6026593.66 |
| ८ | विपद् व्यवस्थापन कोष | 00 | 00 | १४ | कोष खर्च | 11800800.00 | 11800800.00 |
| ९ | विषयगत निकायबाट प्राप्त | | 00 | १५ | अन्य व्यय | | 00 |
| १ | घरौटी आय | 2168443.00 | 2168443.00 | | | | 00 |
| १ | लगानीको सौवा फिर्ता | | 00 | | | | 00 |
| १ | अन्य विविध आय | 95947174.00 | 95947174.00 | | | | 00 |
| | जम्मा | | 552423840.97 | | जम्मा | | 552423840.97 |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-----|---|------------|
| | वित्तीय विवरण विश्लेषण | |
| 1. | <p>वित्तीय विवरण – स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाव राख्नुपर्दछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीय अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन्</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय तहले संचित कोषमा गत विगतको बाँकी यस वर्ष प्राप्त रकम र संचित कोषबाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन । • स्थानीय तहले बैंक समायोजन हिसाब खाता राखेको छैन । जसबाट स्थानीय तहको असार मसान्तको बैंक मौज्जात र श्रेस्ताको मौज्जात को हिसाव मिलान गरेको छैन । • लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी किताब तथा पेशकी खाता अद्यावधिक नरहेको कारण स्थानीय तहले पेश गरेको आय-व्यय विवरण यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन । • कतिपय सम्बन्धित आर्थिक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट शिर्षकगत बैंक नगदी किताबमा नजनाएकाले श्रेस्ता अनुसार बैंक मौज्जात ऋणत्मक रहेको तथा स्थानीय तहका सबै खाताहरुको एकमुष्ट हिसाव गर्दा मौज्जात ऋणत्मक नरहेको । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२(२) मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गरि लेखापरीक्षणमा पेश भएन । <p>त्यसैले तोकेबमोजिमका वित्तीय विवरणहरु तथा खाताहरु अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तविक स्थिति देखिने गरी लेखांकन गर्नुपर्दछ ।</p> | |
| 2. | <p>बैंक हिसाव मिलान नगरेको : स्थानीय तह सरकार संचालन ऐन, को दफा ७६(२) बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कारोवारकव लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकव सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम मासिक रुपमा श्रेस्ता र बैंक खाताको हिसाव मिलान विवरण तयार गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले संचालन गरेको खाताको बैंक हिसाव मिलान विवरण तयार गरेको छैन । आर्थिक विवरण बमोजिम मौज्जात रु.७५७७०९,१७।५४ उल्लेख छ । अतः पालिकाले बैंक हिसाव मिलान विवरण तयार गरिनु पर्दछ ।</p> | |
| 3. | <p>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन। यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु तपशिल बमोजिम रहेका छन् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । • पालिकाले एक आर्थिक वर्ष भित्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुसुची १४ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन । • पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन । • कार्यालयको श्रेप्ता र बैंक विचको हिसाव फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैंक हिसाव मिलान विवरण तयार नगरेको कारण हिसाव मिलान भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । • स्थानियकोष को संचालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदनमा एकरूपता र सुदृढता कायम गर्न महालेखा | |

| दफा | भौ.नं., मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-----|---|------------|
| | <p>नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको स्थानीय संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) को व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गरेको देखिएन ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिमको मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन । • स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले उक्त समितिहरू गठन गरेको पाईएन । • विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रीत भई वितणमुखि रहेको पाईयो । • पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अध्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो • वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी समान अभिलेख पालिकाको मूल जिन्सी खातामा अध्यावधिक गरेको पाईएन । • जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन । • मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ६ क अनुसार ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र दिइएको तथा इ टीडिएस नगरेको । • कार्यालयले उद्देश्य प्राप्तिसमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गरि निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको । • कुनै रकम भुक्तानी दिँदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरूमा सिलसिलेवार नम्वर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा से अनुसार गरेको पाईएन । • सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ को नियम ७ र ८ खरिद अनुसार गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाईएन । • ठेक्काहरूको विस्तृत विवरण देखिने गरि ठेक्का खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा बनाएको पाईएन । • सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । • संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण गर्न गठन गरेका उपभोक्ता समिति उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाइएन • सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन । • वातावरण संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालिन योजना तयार गरेको छैन । | |

| दफा | भौ.नं., मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-----|--|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ को दफा १४ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन । निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कार्य विवरण बनाई लागु गरेको पाईएन । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ बमोजिम तलवि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी रु.९८१६६६१/४० तलब खर्च लेखेको पाईयो । तलवी प्रतिवेदन पारित नहुँदा ग्रेडसमेत यकिन हुन सकेन । मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम यस पालिका तथा पालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा गाउँपालिकाको नाममा रहेको पेशकी तथा बेरुजू अभिलेख समायोजन भएको पालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्यौट तथा बेरुजू सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस पालिकामा समाहित भएका साविकका विषयगत कार्यालयको बेरुजू लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख गाउँपालिकाले एकिन गरी अध्यावधिक नगरेकोले पालिकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । <p>तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।</p> | |
| 4. | <p>बैंक नगदि किताव र बजेटसिट नराखेको : पालिकाले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दा गोश्वरा भौचर उठाइ सो भौचर अनुसार बैंकनगदि किताव र बजेटसिट राख्नु पर्दछ तर पालिकाले कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भुक्तानी आदेश मार्फत खर्च लेखिन बजेट उपशीर्षकहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण, ३१४०१०११३ र ३१४०१०११४, गरिव संग विशेषकर कार्यक्रम ३३६००१०२३, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदानी कार्यक्रम ३६५००१०४३, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण ३१४०१०१२३ को गोश्वरा भौचर सम्म उठाउने गरेको सोको बैंक नगदिकिताव र बजेटसिट राखे गरेको छैन । अतः पालिकाले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दा गोश्वरा भौचर उठाइ सो अनुसार बैंक नगदि किताव र बजेटसिट राख्नु पर्दछ ।</p> | |
| 5. | <p>सम्पत्ति हस्तान्तरण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख उक्त कार्यालयहरू समाहित भएका पालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरू जिम्मेवारी सारेको पाईएन । यसरी जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरू हराउने र हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरूको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।</p> | |
| | बजेट तथा कार्यक्रम | |
| 6. | <p>बजेट पेश, पारित र अख्तियारी - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उप प्रमुख श्री नर्मदा भण्डारी ले मिति २०७६।३।१० गते रु.४६ करोड २ लाख ८९ हजार ४७१ को बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०७६।३।२२। मा पारित भएको छ । यसैगरी</p> | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------|---|---------------|--------|--------|-------|--------|-------|---|------------------|--------|------|-------|--------|-------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| | स्थानीय तहका प्रमुखले ०७६/४/२९ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ। कानूनले तोकेको समयमा आय र व्ययको अनुमान पेश गरी पारित गर्ने र अख्तियारी दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | बजेट सीमा निर्धारण समिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रथमिकीकरण, विषयक्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू फाल्गुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा बजेट वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण तयार गर्नुका साथै तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र पालिकाका विषयगत शाखा तथा वडा समितीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले समितिको गठन गरेको छैन। ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट सीमालगायत क्षेत्रगत विषय समेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा एवं सोको पालनामा सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएता पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | चौमासिक पूँजीगत खर्च : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौमासिक खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । (रु.हजारमा) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.स.स</th> <th rowspan="2">बजेट उपशिर्षक</th> <th rowspan="2">कुल खर्च</th> <th colspan="4">चौमासिक खर्च</th> </tr> <tr> <th>प्रथम चौमासिक</th> <th>दोस्रो चौमासिक</th> <th>तेस्रो चौमासिक</th> <th>आषाढ महिना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>चालु खर्चतर्फ</td> <td>४०९९७६</td> <td>११४७५०</td> <td>८५८५८</td> <td>२०९३६८</td> <td>९६८८७</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>पूँजीगत खर्चतर्फ</td> <td>१२९९७४</td> <td>२९०३</td> <td>१७०६९</td> <td>११०००२</td> <td>९४१३६</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>५३९९५०</td> <td>११७६५३</td> <td>१०२९२७</td> <td>३१९३७०</td> <td>१९१०२३</td> </tr> <tr> <td></td> <td>प्रतिशत</td> <td></td> <td>२१.७८</td> <td>१९.०६</td> <td>५९.१५</td> <td>३५.३८</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स.स | बजेट उपशिर्षक | कुल खर्च | चौमासिक खर्च | | | | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | आषाढ महिना | १ | चालु खर्चतर्फ | ४०९९७६ | ११४७५० | ८५८५८ | २०९३६८ | ९६८८७ | २ | पूँजीगत खर्चतर्फ | १२९९७४ | २९०३ | १७०६९ | ११०००२ | ९४१३६ | | जम्मा | ५३९९५० | ११७६५३ | १०२९२७ | ३१९३७० | १९१०२३ | | प्रतिशत | | २१.७८ | १९.०६ | ५९.१५ | ३५.३८ | |
| क्र.स.स | बजेट उपशिर्षक | | | | कुल खर्च | चौमासिक खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | | आषाढ महिना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | चालु खर्चतर्फ | ४०९९७६ | ११४७५० | ८५८५८ | २०९३६८ | ९६८८७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | पूँजीगत खर्चतर्फ | १२९९७४ | २९०३ | १७०६९ | ११०००२ | ९४१३६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ५३९९५० | ११७६५३ | १०२९२७ | ३१९३७० | १९१०२३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रतिशत | | २१.७८ | १९.०६ | ५९.१५ | ३५.३८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार बार्षिक रु.५३९९५०/- निकासा भएकोमा प्रथम चौमासिकमा रु.११७६५३ अर्थात २१.७८ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा रु.१०२९२७, अर्थात १९.०६ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा रु.३१९३७०, अर्थात ५९.१५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी नै आषाढ महिनामा मात्र रु.१९१०२३ अर्थात ३५.३८ प्रतिशत खर्च देखिनुले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रूपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति : स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रूपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगत बजेट | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | | | | बेरजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|-----------------|----------|----------|--------|---|---------------|------------|----------|-------|---|-------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|---|------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|--|--------------|--------------|--|--|
| | र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.स</th> <th rowspan="2">क्षेत्र</th> <th rowspan="2">बजेट</th> <th rowspan="2">खर्च</th> <th>खर्च प्रतिशत</th> </tr> <tr> <th>जम्मा खर्चको तुलनामा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>आर्थिक विकास</td> <td>१०६६००००</td> <td>५४२७४२४</td> <td>४.१२%</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>पूर्वाधार विकास</td> <td>९५९६६०००</td> <td>६५२४९३८०</td> <td>५०.३४%</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>सामाजिक विकास</td> <td>२४३१७२९४.४</td> <td>१२२७३३३६</td> <td>९.४७%</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>वातावरण तथा विकास</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन</td> <td>१५४५१२४६.७६</td> <td>१०२४३८६८.४०</td> <td>६.९०%</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक</td> <td>५१७३९९३०</td> <td>३६४३४६३२.२३</td> <td>२८.१३</td> </tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td> <td>१९८१३४४७१.१६</td> <td>१२९६२८६४०.६३</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | क्र.स | क्षेत्र | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत | जम्मा खर्चको तुलनामा | १ | आर्थिक विकास | १०६६०००० | ५४२७४२४ | ४.१२% | २ | पूर्वाधार विकास | ९५९६६००० | ६५२४९३८० | ५०.३४% | ३ | सामाजिक विकास | २४३१७२९४.४ | १२२७३३३६ | ९.४७% | ४ | वातावरण तथा विकास | ० | ० | ० | ५ | संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन | १५४५१२४६.७६ | १०२४३८६८.४० | ६.९०% | ६ | अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक | ५१७३९९३० | ३६४३४६३२.२३ | २८.१३ | जम्मा | | १९८१३४४७१.१६ | १२९६२८६४०.६३ | | |
| क्र.स | क्षेत्र | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | जम्मा खर्चको तुलनामा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | आर्थिक विकास | १०६६०००० | ५४२७४२४ | ४.१२% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | पूर्वाधार विकास | ९५९६६००० | ६५२४९३८० | ५०.३४% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | सामाजिक विकास | २४३१७२९४.४ | १२२७३३३६ | ९.४७% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | वातावरण तथा विकास | ० | ० | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन | १५४५१२४६.७६ | १०२४३८६८.४० | ६.९०% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक | ५१७३९९३० | ३६४३४६३२.२३ | २८.१३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | १९८१३४४७१.१६ | १२९६२८६४०.६३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | उपरोक्त विवरण अनुसार सभाले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी ५०.३४ प्रतिशत र वातावरण विकासमा बजेट विनियोजन तथा खर्च भएको पाइएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | <p>खर्च विश्लेषण: पालिकाले यस वर्ष कूल आन्तरिक आयबाट रु.३०९४३३४/-राजश्व वाडफाड र अनुदानबाट रु.३८१२७२१४२/- समेत रु.३८४३६६४७६/- आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु.३१२८९४१७५/- र पूजिगत तर्फ रु.१२९९७४१५३/- समेत रु.४४२८६८३२८/- खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.७० प्रतिशत रहेको छ । यस वर्ष पदाधिकारी मा रु.५७९८१००/- खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको १८७ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त सबै अनुदान र राजश्व वाडफाडको रकमबाट ८२.०७ प्रतिशत चालु र ३४.०९ प्रतिशत मात्र पूजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाहरूले विकास निर्माण कार्यक्रम सांलनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजश्व वाडफाडको रकम अधिक रूपमा विकास निर्माणमा परिचालन गरिनु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | <p>लक्ष्य प्रगति : कार्यालयले चौमासिक र वार्षिक स्तरक प्रगती विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा कार्यालयले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, जिल्ला तथा केन्द्रिय स्तरका योजनाको नियम बमोजिमको ढाँचामा चौमासिक प्रगती विवरण तयार गरेको देखिएन । बजेट खर्च गर्ने तथा खर्चको तोकिएको ढाँचामा वार्षिक प्रगति तयार नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">कार्यक्रम/योजना</th> <th rowspan="2">कुल कार्यक्रम</th> <th colspan="4">वार्षिक प्रगति स्थिती</th> </tr> <tr> <th>शून्य प्रगती</th> <th>२५% सम्म प्रगति</th> <th>५०% सम्म प्रगति</th> <th>७५% सम्म प्रगति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कार्यक्रम संख्या</td> <td>३०६</td> <td>०</td> <td>१</td> <td>३</td> <td>१४</td> </tr> </tbody> </table> | | | | कार्यक्रम/योजना | कुल कार्यक्रम | वार्षिक प्रगति स्थिती | | | | शून्य प्रगती | २५% सम्म प्रगति | ५०% सम्म प्रगति | ७५% सम्म प्रगति | कार्यक्रम संख्या | ३०६ | ० | १ | ३ | १४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कार्यक्रम/योजना | कुल कार्यक्रम | वार्षिक प्रगति स्थिती | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शून्य प्रगती | २५% सम्म प्रगति | ५०% सम्म प्रगति | ७५% सम्म प्रगति | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कार्यक्रम संख्या | ३०६ | ० | १ | ३ | १४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | <p>प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोर्ड, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा संगठन संरचना कायम हुने व्यवस्था छ । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित २८ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण अवधि सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित १९ जना पदपूर्ती भएको देखिन्छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका शिक्षा अधिकृत, सहित ९ पदहरू रिक्त रहेका छन् । दरबन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको स्थिति छ । तसर्थ रिक्त पदहरू यथाशक्य छिटो पूर्ति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | <p>कल्याण कोष - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---|-----------|-----|-------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|----------------------|----|------------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| | यस वर्ष वित्तीय समानीकरणबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा रु.१०००००० ट्रान्सफर गरेको छ । तर उक्त कोषको संचालन सम्बन्धी पालिकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्यवस्था भएको देखिएन । यसरी कानूनको व्यवस्था नगरी पालिका अनुदानबाट सोभै कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्न मिल्ने नदेखिएकाले उक्त रकम फिर्ता लिई स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने रु. | १०००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.४.१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट नमर्स स्वीकृत गराई खाजा र खाना भुक्तानी दिनुपर्ने र ७.४.१ को (५) बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि ऐन, २०७५/७६ अनुसार अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत ३९ जान कर्मचारी हरुलाई रु. १४८५११०/१० यो वर्ष प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको रु. | १४८५११० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | स्थानीय तथ्याङ्क, अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक श्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य श्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसहितको पालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन गरेको देखिएन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा पहल हुनु आवश्यक छ । तथ्याङ्कवेगार प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यान्वयनले उचित सार्थकता नपाउने हुँदा यस तर्फ पालिकाले अभिलेख व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | वडा सचिवको पदपूर्ति : पालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट संचालित सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका वडा सचिवको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था देहाय बमोजिम छ । रिक्त पदहरूको पदपूर्ति गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>वडा संख्या</th> <th>वडा सचिवको दरबन्दी</th> <th>वडा सचिवको पदपूर्ति</th> <th>रिक्त वडा सचिव</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६</td> <td>६</td> <td>३</td> <td>३</td> </tr> </tbody> </table> | वडा संख्या | वडा सचिवको दरबन्दी | वडा सचिवको पदपूर्ति | रिक्त वडा सचिव | ६ | ६ | ३ | ३ | | | | | | | | | | | | | |
| वडा संख्या | वडा सचिवको दरबन्दी | वडा सचिवको पदपूर्ति | रिक्त वडा सचिव | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | ६ | ३ | ३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | सेवाप्रवाहको स्थिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था अनुसार ९ वटा ऐन, ३ वटा नियमावली र १२ वटा कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस वर्ष पालिकाबाट निम्नअनुसार सेवाप्रवाह गरेको विवरण प्राप्त भएको छ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>स्वीकृत घरनक्सा दर्ता पास</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>पञ्जिकरणतर्फ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>जन्मदर्ता</td> <td>७८३</td> </tr> <tr> <td>मृत्युदर्ता</td> <td>२२९</td> </tr> <tr> <td>बसाईसराई दर्ता</td> <td>३५४</td> </tr> <tr> <td>विवाह दर्ता</td> <td>२५५</td> </tr> <tr> <td>सम्बन्धविच्छेद दर्ता</td> <td>१२</td> </tr> <tr> <td>पूर्वाधार विकास सडक निर्माण</td> <td></td> </tr> <tr> <td>कालोपत्रे सडक निर्माण</td> <td>०</td> </tr> </tbody> </table> | विवरण | जम्मा | स्वीकृत घरनक्सा दर्ता पास | ० | पञ्जिकरणतर्फ | | जन्मदर्ता | ७८३ | मृत्युदर्ता | २२९ | बसाईसराई दर्ता | ३५४ | विवाह दर्ता | २५५ | सम्बन्धविच्छेद दर्ता | १२ | पूर्वाधार विकास सडक निर्माण | | कालोपत्रे सडक निर्माण | ० | |
| विवरण | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्वीकृत घरनक्सा दर्ता पास | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पञ्जिकरणतर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जन्मदर्ता | ७८३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मृत्युदर्ता | २२९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बसाईसराई दर्ता | ३५४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विवाह दर्ता | २५५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सम्बन्धविच्छेद दर्ता | १२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूर्वाधार विकास सडक निर्माण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कालोपत्रे सडक निर्माण | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | | | | | बेरजू रकम | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------|-----|----|----|----|----|-----|
| | कालोपत्रे सडक मर्मत | | ० | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ग्राभेल सडक निर्माण | | ० | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ग्राभेल सडक मर्मत | | ० | | | | | | | | | | | | | | | |
| | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमध्ये पञ्जिकरण बाहेकका अन्य सेवा सञ्चालनमा सन्तोष जनक देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | <p>योजना छनौट र कार्यान्वयन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हुने प्रगतिका योजना छनौट गरि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभाबाट स्वीकृत बार्षिक गाउँ विकास योजना २०७६/७७ को अध्ययन गर्दा पालिकाले स्वीकृत गरी सञ्चालन गरेको अधिकांश योजना न्यून बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने किसिमले संचालन गरेको पाइएन । पालिकाले यस वर्ष संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>रु १ लाख सम्म</th> <th>रु १ लाख देखि २ लाखसम्म</th> <th>रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मका</th> <th>रु ५ लाख देखि १० लाखसम्मका</th> <th>रु १० लाखभन्दा बढीको</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११७</td> <td>५६</td> <td>२८</td> <td>२३</td> <td>२७</td> <td>२५१</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त विवरण अनुसार पालिकाले यस वर्ष जम्मा २५१ वटा योजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा मुनिका मात्र ११७ वटा योजनाहरू रहेका छन् । त्यसैले साना रकमका धेरै योजनाहरू संचालन गर्दा कार्यालयको जनशक्ति वर्षै भरि योजना व्यवस्थापनमा खटिनु पर्ने, संचालित योजनाबाट चालु प्रकृतिका कार्यमा बढी खर्च भई लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अवस्था तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ</p> | | | | | | रु १ लाख सम्म | रु १ लाख देखि २ लाखसम्म | रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मका | रु ५ लाख देखि १० लाखसम्मका | रु १० लाखभन्दा बढीको | जम्मा | ११७ | ५६ | २८ | २३ | २७ | २५१ |
| रु १ लाख सम्म | रु १ लाख देखि २ लाखसम्म | रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मका | रु ५ लाख देखि १० लाखसम्मका | रु १० लाखभन्दा बढीको | जम्मा | | | | | | | | | | | | | |
| ११७ | ५६ | २८ | २३ | २७ | २५१ | | | | | | | | | | | | | |
| | कानून निर्माण एवं कार्यान्वयन | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | <p>कानून र सञ्चालन स्थिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ३० नमूना कानूनहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा यस पालिकाले हालसम्म ५ वटा ऐन, १ वटा नियमावली, ९ कार्यविधि लगायत १५ वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै पालिकाले १५ वटा कानूनहरू निर्माण गरी सभा। कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेतापनि उक्त कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । तसर्थ उक्त कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | <p>न्यायीक समिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गतवर्ष फछ्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी २ र यो वर्ष थप भएको १८ गरी कुल २० विवाद दर्ता भएकोमा १३ वटा मात्र फछ्यौट भई ७ बाँकी देखिन्छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फछ्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पदाधिकारी सुविधा | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | <p>पदाधिकारी पारिश्रमिक - लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य र सभाको सदस्यले आफु निर्वाचित भई अनुसूची-१ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई आफ्नो पदको काम कारबाही शुरू गरेको मिति देखि मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरेकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदातलको आदेशले २०७६ कार्तिक १ गते बाट लागू हुने गरी उक्त सुविधाहरू खारेज गरिएको छ । जसअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रभम संशोधन गरी मिति २०७७/३/८ मा पारित गरेको उक्त पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | | | | | | | बेरुजू रकम | |
|-----|---|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------|
| | १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सूविधामात्र दिन मिल्ने देखिन्छ । पालिकाले पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक सुविधामा निम्नानुसार रु.१०६५०००।०० खर्च लेखेको देखिन्छ । | | | | | | | | |
| | ०७६ श्रावण-असोज | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | वडा अध्यक्ष ५ जना | गा.पा सदस्य ६ जना | गा.पा सभा सदस्य १८ जना | जम्मा | | |
| | १०००० | ८१००० | ३००००० | २१६००० | ३७८००० | १०६५००० | | | |
| 23. | स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा : नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पालिकाबाट देहाय बमोजिम सुविधा वापत भुक्तानी भएको छ । | | | | | | | | |
| | सि.नं | विवरण | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | वडाअध्यक्ष ६ जना | कार्यपालिका सदस्य ६ जना | सभाका सदस्य १९ जना | जम्मा | |
| | १ | बैठक भत्ता | १८२०० | १८२०० | १०५७०० | १०२९०० | ४४१०० | २८९१०० | |
| | २ | यातायात खर्च | ०० | ०० | ०० | ३२४००० | ५१३००० | ८३७००० | |
| | ३ | टेलिफोन,मोबाइल | ३१५०० | २७००० | १६२००० | १६२००० | ४२७५०० | ८९०००० | |
| | ४ | पुस्तक,पत्रीका,ईन्टरनेट | ३६००० | ३६००० | १६२००० | १६२००० | ३४२००० | ७३८००० | |
| | ५ | समन्वय तथा सहजीकरण | ९०००० | ७२००० | ३२४००० | २७०००० | ५१३००० | १२६९००० | |
| | ६ | अतिथि सत्कार | ५४००० | ४५००० | २१६००० | ०० | ०० | ३१५००० | |
| | ७ | खानेपानी/बिजुली/मर्मत /सरसफाई | ९०००० | ९०००० | ०० | ०० | ०० | १८०००० | |
| | ८ | चाडपर्व खर्च | १५००० | १५००० | ७२००० | ६०००० | १३३००० | २९५००० | |
| 24. | निवृत्तिभरणलाइ सुविधा भुक्तानी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धित कानूनमा संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक,२०७६ तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ मा निवृत्तभरण पाइरहेका पदाधिकारी ले सुविधा पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण दुवै लिन पाउने भनि स्पष्ट किटान नगरेको अवस्थामा पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार देहायका पदाधिकारीहरुले दोहोरो सुविधा लिएको देखिएको हुदाँ भुक्तानी लिने नलिने सम्बन्धमा विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिएन । | | | | | | | | |
| | नाम घर २०७६कर्तिकदेखि २०७७ असार | यातायात | पत्रपत्रिका | टेलिफोन | अतिथी | जनसम्पर्क | जम्मा महिनाको | ९ चाडपर्व | जम्मा |
| | वडा नं ६ वडाअध्यक्ष श्री थम्मन बहादुर ज्ञवाली | ०० | ३००० | ३००० | ४००० | ६००० | १४४००० | १२००० | १५६००० |
| | वडा नं ४ गा पा सदस्य चुन्ड प्रसाद कडेल | ३००० | २००० | २५०० | ०० | ३००० | ९४५०० | ७००० | १०१५०० |
| | जम्मा | ३००० | ५००० | ५५०० | ४००० | ९००० | २३८५०० | १९००० | २५७५०० |
| 25. | विविध खर्च - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले यस वर्ष विविधतर्फ मात्र रु.२३०५२१५/ खर्च गरेको छ । | | | | | | | | |
| | अनुदान फिर्ता, वितरण र उपयोग | | | | | | | | |
| 26. | अनुदान फिर्ता — संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्यविधि बमोजिम ती निकायबाट स्थानीय तहमा प्राप्त हुने समपुरक वाहेकका अनुदान खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राप्त विवरण (सुत्रको अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार मसान्तमा देहायबमोजिमको अनुदान खर्च नभई बाँकी रहेकोमा फिर्ता गरेको पाइएन । खर्च नभई बाँकी रहेको निम्नानुसारको रकम सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने रु.३२९८४०४२/५२ आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मंसिर पौषमा देखिला गरेको देखियो । | | | | | | | | |
| | अनुदान प्रदान गर्ने निकाय | अनुदानको प्रकार | प्राप्त रकम | खर्च रकम | बाँकी रकम | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | | | | | बेरजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|--------------------------------|--|--------------------|--|---------|--|--------------------------------|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|--|--|---|---------|---|----------|----|----------|
| | संघीय सरकार | शसर्त | १८९९२८०० | १६३८१५९८१.४८ | २६११२०१८.५२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | विपेश | १५०००००० | ११७८०४१८ | ३२१९५८२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | समपुरक | ४९२१००० | ३९६९५६८ | ९५१४३२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अन्य | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रदेश सरकार | शसर्त | ८०००००० | ८०००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | विपेश | ८२००००० | ६३३६५३७ | १८६३४६३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | समपुरक | १३८९७००० | १३०५९४४३ | ८३७५५७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | २३९९४६००० | २०६९६१९४७.४८ | ३२९८४०५२.५२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | फिर्ता पठाएको | | | ३२९८४०५२.५२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बाँकी | | | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | <p>ठेक्का व्यवस्थापन:सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली,२०६४ बमोजिम सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका लागि सोझै खरिद, सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउपालिकाबाट संचालित योजनाको निर्माण कार्य देहाय बमोजिम भएको देखिन्छ:(रु.हजारमा)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">कुल निर्माण खर्च</th> <th colspan="2">सोझै खरिद</th> <th colspan="2">सिलबन्दी दरभाउपत्र</th> <th colspan="2">बोलपत्र</th> <th colspan="2">तेस्रो चौमासिकमा व्यवस्था भएको</th> </tr> <tr> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३५३०६३५७</td> <td></td> <td></td> <td>५</td> <td>३८२४५४३</td> <td>५</td> <td>३१४८१८१४</td> <td>१०</td> <td>३५३०६३५७</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | कुल निर्माण खर्च | सोझै खरिद | | सिलबन्दी दरभाउपत्र | | बोलपत्र | | तेस्रो चौमासिकमा व्यवस्था भएको | | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | ३५३०६३५७ | | | ५ | ३८२४५४३ | ५ | ३१४८१८१४ | १० | ३५३०६३५७ |
| कुल निर्माण खर्च | सोझै खरिद | | सिलबन्दी दरभाउपत्र | | बोलपत्र | | | तेस्रो चौमासिकमा व्यवस्था भएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३५३०६३५७ | | | ५ | ३८२४५४३ | ५ | ३१४८१८१४ | १० | ३५३०६३५७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | <p>वार्षिक खरिद योजना/गुरुयोजना : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक रु.१२९९७४१५३/-पूँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरेको देखियो । अतः पालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना/गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कर दस्तुर एवं आन्तरिक आय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | <p>आयको अनुमान: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित रु.३६०००००/ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा रु.३०९४३३४/ अर्थात अनुमान भन्दा ८५.९६ प्रतिशत बढी आय प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यर्थाथपरक बनाई आय आर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | <p>गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको कर: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ को उपदफा१(च), ३ र ४ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको करमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको दोहोरो अधिकार रहने, करको दर सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरी स्थानीय तहहरूले संकलन गरेर प्रदेश स्तरको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरी प्रदेशले लागु गरेको कानून अनुसार बाँडफाँड हुने गरेको मा उक्त दफा संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीय तहहरूले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा विक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो संचित कोषमा जम्मा गर्ने गरी सो करमा स्थानीय तहहरूको एकल अधिकार कायम गरेको देखिन्छ तर सो अनुरूप प्रदेशहरूले तर्जुमा गरेका कानूनहरू संशोधन गर्नु पर्नेमा नगरेको कारण सो करको बाँडफाँडमा अस्पष्टता देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा संघीय कानून अनुसार नै गर्नु पर्दछ। त्यस अतिरिक्त</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरजू रकम |
|-----|---|-----------|
| | दफा ६२(क) विपरित हुने गरी संघीय मन्त्रीपरिषदले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी थप अस्पष्टता सृजना गरेको अवस्था समेत देखियो। स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी गिट्टि, ढुङ्गा, बालुवा करको संकलन तथा बाँडफाँड गर्नुपर्दछ । | |
| 31. | राजश्व अभिलेख : कार्यालयले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाबाट रसिद ठेलिहरु छपाई गरेर वडा कार्यालयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अभिलेख पालिकामा आएको देखिएन । अधिल्लो आ.व.को बाँकी के कति छन एकिन गर्न सकिएन । कार्यालयबाट सबै वडाहरुमा पनि स्वचालित प्रणालि जडान गरी राजस्व संकलन गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ । यसले गर्दा व्यक्तिहरुले छुट्टै रसिद छपाउने जोखिम विद्यमान रहन्छ । यसको सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयबाटै यकिन गर्नुपर्दछ । अतः कार्यालयले आगामी दिनमा रसिद नियन्त्रण तथा राजश्व असूलीलाई स्वचालित प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने देखियो । | |
| 32. | राजश्व दाखिला : आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ९ (६) बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगद सोही दिन दाखिला गरी स्रेस्ता खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोकिएको समयमा राजश्व रकम दाखिला नगरेमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयले १० दिन सम्म ढिला गरेको भए १० प्रतिशत, १५ दिन सम्म ढिला गरेको भए १५ प्रतिशत जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र १५ दिन भन्दा ढिलो गरेको भए २५ प्रतिशत जरिवाना गरी नगद दाखिला गर्न लगाई कसूरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही समेत गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । कार्यालय अन्तर्गत ६ वटा वडा र पालिकाबाट प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तोकिएको अवधि भित्र दाखिला गरेको छैन। यसरी ढिला हुने गरी राजश्व रकम बैक दाखिला भएको अवधिको कार्यालयले छानविन गरी, जरिवाना रकम असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यालयले सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुले प्राप्त गरेको आन्तरिक राजश्व रकम र बैकमा दाखिला गरेको विवरणमा कार्यालयले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| 33. | स्थानीय तहहरुको विभाज्य कोष - प्रदेशहरुको आन्तरिक आय व्यावस्थापन गर्न बनेको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्क मानोरञ्जन कर लागतका शुल्क तथा करको सङ्कलनबाट उठेको शुल्क मध्ये साठी प्रतिशतले हुने रकम स्थानीयतहले स्थानीय सञ्चित कोषमा राखी चालिस प्रतिशतले हुने रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले बाडफाड गर्नुपर्ने विभाज्यकोषको हिसाव राखेका छैनन । जसबाट अतिरिक्त विज्ञापन, मनोरञ्जन कर यर्थाथ असुलीका अभिलेख नहुदा विभाज्यकोषको बारेमा एकिन हुन सकिएन । अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित गरी विभाज्यकोषको रकम बाडफाड गर्नुपर्दछ । | |
| | उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य | |
| 34. | प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता समितिहरुबाट सञ्चालित योजनाको ठेक्का बिलहरुमा लागत अनुमान र वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बराबर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिन्छ । लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिड नफ्स अनुसार बिलमा खुलाउनुपर्ने तथ्याङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए/नभएको विषयमा यकिन हुन नसकिएको हुँदा प्राविधिकले इन्जिनियरिड नफ्स अनुसारको उपभोक्ता समितिको बिल बनाउँदा नापजाँचलाई | |

| दफा | भौ.नं., मिति र ब्यहोरा | बेरजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|--|--------------|------------------------|---------|----------------------------|---|---------|---|---------|--------------|--|---------|--|---------|--|
| | वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | <p>लागत सहभागिता - पालिकाले आयोजना/कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नगद सहभागिता तोकिएको अवस्थामा सहभागिता वापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा दाखिला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपछि मात्र उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्नुपर्ने गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले लागत सहभागिता सहितका लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन् । अतः नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | <p>हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ९७(९) मा उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही समुदायबाट संचालित हुने निर्माण कार्यमा रोलर, एक्सभेटर, डोजर, ग्रेडर, विटुमिन डिस्ट्रिब्यूटर, विटुमिन व्याइलर जस्ता हेभी मेशिन प्रयोग गर्न नपाईने, तर लागत अनुमान तयार गर्दको समयमा हेभी मेशिन पर्योग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनि उल्लेख भएको र सम्बन्धित प्राविधिको सीफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहभती लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । गाउपालिका द्वारा उपभोक्ता समिति मार्फत सडक निर्माण तथा मर्मत सुधार सम्बन्धि काममा तपसिल अनुसार देखिन आएको छ ।</p> <p>(क) लेखापरीक्षणका समयमा पेश भएका ड्राइड, डिजाइन, लागत अनुमान तथा सम्झौतामा हेभी मेशिन पर्योग गर्नु पर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य हो भनि खुल्ने आधार/प्रमाण नपाइनुका साथै सम्बन्धित प्राविधिक वाट त्यस सम्बन्धि सीफारिश भएको देखिएन ।</p> <p>(ख) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४४ ले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई कार्य गराउनको लागी पुर्वशर्तको रूपमा राखेको दिगोपनाको अभिवृद्धिल विकास कार्यक्रमको बातावरण संगको अन्तरसम्बन्ध तथा निर्मित संरचनाको स्थायित्वलाई समावेश गर्ने सैद्धान्तिक परिवेशमा उपरोक्त अनुसार भारी उपकरण प्रयोगको अनुपाल बढ्दै जादा समग्र प्रकृतिक वातावरण क्षति हुने जोखिम देखिन आउछ । अर्को तर्फ सोहि दफाले परिकल्पना गरेको रोजगारी श्रृजना सम्बन्धि अवधारणा पनि संकट परेको देखियो ।</p> <p>(ग) सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०२६४ को नियम ९७(१०) मा उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्ने र कुने निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्याक्टरबाट काम गराउन सक्ने छैन भनि स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै नियम ९७ (१३क) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै कममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहि समुदायसंग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कामगर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यावसायिलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक रखिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारीस गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । पालिकामा उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिने प्रयोजनको लागि पेश गरेको विल भर्पाइ तथा निर्णय अनुसार अधिकांश सडकहरु हेभी मेशिन पर्योग गर्ने कार्य लागन अनुमान तयार गरेको र उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यावसायी मार्फत काम गराएको देखियो । उपभोक्ता समितिले स्थानीय श्रोत साधन र श्रम उपयोग नगरी निर्माण व्यावसायीबाट काम गराउदा परोक्ष रूपमा ठेक्कापट्टा भएको स्थिति छ । यसमा नियन्त्रण हुनुपर्छ । उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्यको सम्झौता गरी निम्न निर्माण व्यवसायीबाट काम गराएको छ । नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप कार्य गराउनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गोभौ.नं./मिति</th> <th>उपभोक्ता समितिको नाम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>निर्माण व्यवसायिको नाम</th> <th>विल रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>९-०७६/९/२८ २०-०७६/११/१४</td> <td>पिपलनेटा दिगाम घमरपानी मानकोट दौघा फसा टाकुरा अ.खा.मोटरबाटो उ.स</td> <td>५७५९७३०</td> <td>सोना इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर्स</td> <td>५७६०५७२</td> </tr> <tr> <td>१२-०७६/१०/१२</td> <td>विरवास कोलधरी वर्जियासिस्ने चन्द्रकोट मो.वा.उ.स</td> <td>५९५२०००</td> <td>ऋषिमुनी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि</td> <td>१६८१२७१</td> </tr> </tbody> </table> | गोभौ.नं./मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | भुक्तानी रकम | निर्माण व्यवसायिको नाम | विल रकम | ९-०७६/९/२८ २०-०७६/११/१४ | पिपलनेटा दिगाम घमरपानी मानकोट दौघा फसा टाकुरा अ.खा.मोटरबाटो उ.स | ५७५९७३० | सोना इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर्स | ५७६०५७२ | १२-०७६/१०/१२ | विरवास कोलधरी वर्जियासिस्ने चन्द्रकोट मो.वा.उ.स | ५९५२००० | ऋषिमुनी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि | १६८१२७१ | |
| गोभौ.नं./मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | भुक्तानी रकम | निर्माण व्यवसायिको नाम | विल रकम | | | | | | | | | | | | | |
| ९-०७६/९/२८ २०-०७६/११/१४ | पिपलनेटा दिगाम घमरपानी मानकोट दौघा फसा टाकुरा अ.खा.मोटरबाटो उ.स | ५७५९७३० | सोना इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर्स | ५७६०५७२ | | | | | | | | | | | | | |
| १२-०७६/१०/१२ | विरवास कोलधरी वर्जियासिस्ने चन्द्रकोट मो.वा.उ.स | ५९५२००० | ऋषिमुनी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि | १६८१२७१ | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | | | | बेरजू रकम |
|-----|--|--|-----------------|---|---|
| | ५२-०७७/२/१४ | चन्द्रकोट मव.वा.उ.स | | पुष्पाञ्जलि निर्माण सेवा | ४२७५००० |
| | | | | | ५९५६२७१ |
| | १५७-०७७/३/२७ | विरवास कोलधरी बर्लिया सिस्ने चन्द्रकोट मोटरबाटो सिस्ने खण्ड उ.स. | २९७६००० | रेसुङ्गा जडिवुटी काष्ठ तथा निर्माण सामग्री सप्लायर्स सोना इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर्स राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन एण्ड प्रा.लि. पुष्पाञ्जलि निर्माण सेवा | ३६५७०९ १२१०४७४ ७३९२३७ ३६१३७४ |
| | | | | जम्मा | २६७६७९४ |
| | २१-०७६/११/२३ | ब्लक स्तरिय मोटर बाटो उ.स.ब्लक नं.२६ | ९४०००० | सोना इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर्स | ९६०००० |
| | २४-०७६/११/३० | छत्रकोट गा.पा.वार्ड नं.१ मोटरबाटो सरसफाइ तथा मर्मत उ.स | १०३६८०० | गौतम निर्माण सेवा | १०८०४७७ |
| | ४९-०७७/२/१४ | छत्रकोट गा.पा. वार्ड नं.३ को बडा स्तरिय मो.वा.मर्मत उ.स | १२४८००० | पुष्पाञ्जलि निर्माण सेवा | ११२३७८५ |
| | ६०-०७७/२/२० १७९-०७७/३/२९ | भेडवा गुन्डुङ ठुलोपोखरा तोल्घा चारकाटे सत्वति मो.वा.उ.स | ४९९२००० | सानो इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर्स श्रृगेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि सानो इलेक्ट्रिकल्सएण्ड जनरल स्टोर्स श्रृगेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि | १५६७८२५ ५०१२४८ ६८२९५९ ८३६४०६ ६३९१३९ |
| | | | जम्मा | | ४२२७५७१ |
| | ८५-०७७/३/८ | लुम्छा चौपारी मो.वा.उ.स | ५१८४००० | सानो इलेक्ट्रिकल्सएण्ड जनरल स्टोर्स पुष्पाञ्जलि निर्माण सेवा | १८१०६९७ ३०२९७८ |
| | | | जम्मा | | २११३६७५ |
| | ५-०७६/९/२० | ब्लक नं. २ स्तरिय मो.वा सरसफाई तथा मर्मत समिति उ.स | ४२२४०० | ऋषिकेश कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सप्रा.लि | ४८६७८३ |
| | १८-०७६/११/११ | ब्लक नं.१६ स्तरिय मो.वा. मर्मत उ.स | ६२४००० | पुष्पाञ्जलि निर्माण सेवा | ६२४९५६ |
| | २८-०७६/११/२ | दिगाम मोटरबाटो निर्माण तथा मर्मत सुधार उ.स | ४३२००० | सानो इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर | ४३६१२४ |
| | २९-०७६/१२/२ | बडा स्तरिय मो.वाटो मर्मत एव गिटि विच्छाउने उ.स | ८३४००० | रेसुङ्गा जडिवुटी काष्ठ तथा निर्माण सामग्री सप्लायर्स | ८६६२४८ |
| | ३३-०७७/१/१० | बडास्तरिय मो.वाटो मर्मत उ.स. | ६८१६०० | पुष्पाञ्जलि निर्माण सेवा | ६८२२६६ |
| | ५९-०७७/२/१८ | ब्लक नं.१ स्तरिय मो.वा.उ.स | ६६८१२० | गौतम निर्माण सेवा | ५८२३२० |
| | ९६-०७७/३/१२ | ब्लक स्तरियमो.वाटो सरसफाइ तथा मर्मत उ.स | ४८९१८३ | गौतम निर्माण सेवा | ४३४४९० |
| | १६९-०७७/३/२८ | १६ नं. ब्लक स्तरिय मो.वाटो निर्माण तथा मर्मत उ.स | ६७७१०० | सोना इलेक्ट्रिकल्स एण्ड जनरल स्टोर्स | ४९९७५३ |
| | | जम्मा | ३१६९८९३३ | | २८६०८७८५ |
| 37. | उपभोक्तालाइ सम्झौता भन्दा बढि भुक्तानी : गो.भौ.नं. ६७-०७७/२/२० सरस्वति ब्लक नं. १८ स्तरिय मोटर बाटो निर्माण तथा मर्मत सुधार उ.स.लाई बाटोमा ह्युमपाइप राखे कामको लागी लागत अनुमान रु.३९२९७०/- मा जन श्रमदान रु.५६९७०/- र पालिकाले रु.३३६०००/- व्यहोर्ने गरी | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|--|--------------|---------|--------|--------|-----------------------------|--|----------------|---------------|--------|-------|----------------------------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|--------------|--|--|---------------|---------------|--------------|-------|
| | सम्झौता भएककोमा प्राविधिक मूल्याङ्कन रु.३९२९७०/- मा पालिकाले उपभोक्ता समितिलाई रु.३३६०००/- मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु.३५००००/- भुक्तानी गरेकोले बढी भुक्तानी भएको रकम उपभोक्ता समितिबाट असूल गर्नुपर्ने देखिएको रु | १४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | <p>उपभोक्ता समितिलाई करकट्टि सम्बन्धमा: आयकर ऐन २०५८को दफा ८९(३क) अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने गरी गरिएको ५० लाख रुपैया भन्दा बढिको भुक्तानी रकममा १.५ प्रतिशतका दरले कर कट्टि गर्नुपर्ने उल्लेख भए अनुसार पालिकाले निम्न बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा कर कट्टि नगरिएकोले उपभोक्ता समितिबाट कर असूल गरी राजश्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं.मिति</th> <th>उपभोक्ता समितिको नाम</th> <th>खर्च रकम</th> <th>कर बापत रकम</th> <th>कट्टा गरेको</th> <th>असूल गर्नुपर्ने</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१-०७६/९/२८ २०-०७६/११/१४</td> <td>पिपलनेटा दिगाम धमरपानी मानकोट दोह्राफसा टाकुरा अ.खा.मो.बाटो उ.स</td> <td>५७५९७३०</td> <td>८६३९६</td> <td>७६४६८</td> <td>९९२८</td> </tr> <tr> <td>१२-०७६/१०/२२ ५२-०७७/२/१४</td> <td>वरवास कोलघरी वर्जिया सिस्ने चन्द्रकोट मो.बा.उ.स</td> <td>५९५२०००</td> <td>८९२८०</td> <td>७८१०७</td> <td>१११७३</td> </tr> <tr> <td>८२-०७७/३/८ २१२-०७७/३/३०</td> <td>लुम्छा चौपारी मो.बा.उ.स</td> <td>५९८४०००</td> <td>७७७६०</td> <td>४३४०४</td> <td>३४३५६</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">जम्मा</td> <td></td> <td>२५३४३६</td> <td>१९७९७९</td> <td>५५४५७</td> </tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं.मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | खर्च रकम | कर बापत रकम | कट्टा गरेको | असूल गर्नुपर्ने | १-०७६/९/२८ २०-०७६/११/१४ | पिपलनेटा दिगाम धमरपानी मानकोट दोह्राफसा टाकुरा अ.खा.मो.बाटो उ.स | ५७५९७३० | ८६३९६ | ७६४६८ | ९९२८ | १२-०७६/१०/२२ ५२-०७७/२/१४ | वरवास कोलघरी वर्जिया सिस्ने चन्द्रकोट मो.बा.उ.स | ५९५२००० | ८९२८० | ७८१०७ | १११७३ | ८२-०७७/३/८ २१२-०७७/३/३० | लुम्छा चौपारी मो.बा.उ.स | ५९८४००० | ७७७६० | ४३४०४ | ३४३५६ | जम्मा | | | २५३४३६ | १९७९७९ | ५५४५७ | ५५४५७ |
| गो.भौ.नं.मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | खर्च रकम | कर बापत रकम | कट्टा गरेको | असूल गर्नुपर्ने | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १-०७६/९/२८ २०-०७६/११/१४ | पिपलनेटा दिगाम धमरपानी मानकोट दोह्राफसा टाकुरा अ.खा.मो.बाटो उ.स | ५७५९७३० | ८६३९६ | ७६४६८ | ९९२८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२-०७६/१०/२२ ५२-०७७/२/१४ | वरवास कोलघरी वर्जिया सिस्ने चन्द्रकोट मो.बा.उ.स | ५९५२००० | ८९२८० | ७८१०७ | १११७३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८२-०७७/३/८ २१२-०७७/३/३० | लुम्छा चौपारी मो.बा.उ.स | ५९८४००० | ७७७६० | ४३४०४ | ३४३५६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | २५३४३६ | १९७९७९ | ५५४५७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | <p>बढी भुक्तानी: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम १२३ खरिद सम्झौता अनुसार रनिड विल प्राविधिक नाप जाच गरी नापीमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्छ । निर्माण व्यावसायी पुष्पाञ्जलि निर्माण सेवा लाई निम्न गो.भौ.नं. वाट प्राविधिक नापजाच, ठेक्का विल अनुसार मू.अ.कर विजक जारी गरी पेश गरेको भन्दा निम्न बमोजिम रु.३८३७६९/- बढी भुक्तानी भएको रकम निर्माण व्यावसायीबाट असूल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं.मिति</th> <th>विल रकम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१०४-०७७/३/१७</td> <td>६०६९७०९</td> <td>६०७८६१२</td> <td>८९०३</td> </tr> <tr> <td>२३५-०७७/३/३१</td> <td>२९२०३८५</td> <td>३२९५२५</td> <td>३७४८६६</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>८९९००९४</td> <td>९३७३८६३</td> <td>३८३७६९</td> </tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं.मिति | विल रकम | भुक्तानी रकम | बढी भुक्तानी | १०४-०७७/३/१७ | ६०६९७०९ | ६०७८६१२ | ८९०३ | २३५-०७७/३/३१ | २९२०३८५ | ३२९५२५ | ३७४८६६ | जम्मा | ८९९००९४ | ९३७३८६३ | ३८३७६९ | ३८३७६९ | | | | | | | | | | | | | | |
| गो.भौ.नं.मिति | विल रकम | भुक्तानी रकम | बढी भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०४-०७७/३/१७ | ६०६९७०९ | ६०७८६१२ | ८९०३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३५-०७७/३/३१ | २९२०३८५ | ३२९५२५ | ३७४८६६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | ८९९००९४ | ९३७३८६३ | ३८३७६९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जि.स.स अनुदान तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | <p>२-०७७/६/१४ नेपाल राष्ट्रिय मा.वि दौधा लाई नया भवन निर्माण का लागि जिल्ला समन्वय कार्यालय गुल्मि र छत्रकोट गाउपालिकाको साझेदाररीमा आ.व.२०७५/७६ मा रु.२००००००/- बजेट विनियोजन भएको रकम निकास दिन वडा नं.६ का वडा अध्यक्षबाट सिफारिश संलग्न गरी विद्यालयको अन्तिम ठेक्का विल मा अद्यावधिक कार्य भएको रु.५७९२३७६/- मध्ये हाल भएको काम रु.२१८२६६५/- मा जनसहभागिता रु.२६२६६५/- कट्टा गरी रु.१९२००००/- खर्च लेखेकोमा नापी किताव सम्झौता आदि पेश नभएकोले नापी किताव तथा सम्झौता पेश हुनुपर्ने रु.</p> | १९२०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | <p>प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम - स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरुको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतहभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ को दफा २(१) बमोजिम गाउपालिकाले बेरोजगारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथमिकिकरण गरी प्राथमिकता क्रम अनुसार, कामका लागि रोजगार कार्यक्रममा संलग्न गराई रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा, कार्यालयले बेरोजगारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेको छैन/बेरोजगारको सूचीमा समावेशलाई प्राथमिकिकरण गरेको छैन । कामका लागि रोजगार</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं., मिति र ब्यहोरा | बेरजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------------|--------------|-----|------------|--|-------------|--------|----------------|--|-------------|--------|--------------|--|--|---------------|--|
| | कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको पालना नगरी योजनाको छनौट अगावै औजार खरिद भएको, खरिद भएको औजारहरूको जिन्सी दाखिला नभएको, अत्याधिक संख्यामा योजना छनौट भएको, पूर्वाधार एवम् अन्य विकास निर्माणका लागि अधिकांश योजना छनौट नभई, अनुत्पादनमुलक कार्य गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । साथै श्रमिकको संख्या पनि अत्याधिक रहेकोले कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप लक्ष्य हाँसिल गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको पाईएन । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहभित्रका वडाहरूमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालय निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस वर्ष २०६ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई रु.२०९८३४०/ खर्च गरेको छ । लक्षित वर्गलाई १२ दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च समेत खर्च लेखेका छन् । उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सृजना भएको देखिँदैन । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | समानीकरण पूँजीगततर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | <p>सोझै खरिद - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रु.५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, रु.५ लाखभन्दा माथि रु.२० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । पालिकाहरूले यो वर्ष पूँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नपनाइको निम्नानुसार रु.९७२९०६/- को सोझै खरिद गरेको देखियो ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं. मिति</th> <th>आपूर्तिकर्ताको नाम</th> <th>बिल नं. मिति</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>८-०७६/९/२७</td> <td>रेसुङ्गा दर्शन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स</td> <td>११-०७६/९/१३</td> <td>४९२९०६</td> </tr> <tr> <td>४०,४१-०७७/१/२६</td> <td>रेसुङ्गा दर्शन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स</td> <td>२४-०७७/१/२३</td> <td>४८००००</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">जम्मा</td> <td>९७२९०६</td> </tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं. मिति | आपूर्तिकर्ताको नाम | बिल नं. मिति | रकम | ८-०७६/९/२७ | रेसुङ्गा दर्शन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | ११-०७६/९/१३ | ४९२९०६ | ४०,४१-०७७/१/२६ | रेसुङ्गा दर्शन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | २४-०७७/१/२३ | ४८०००० | जम्मा | | | ९७२९०६ | |
| गो.भौ.नं. मिति | आपूर्तिकर्ताको नाम | बिल नं. मिति | रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८-०७६/९/२७ | रेसुङ्गा दर्शन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | ११-०७६/९/१३ | ४९२९०६ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४०,४१-०७७/१/२६ | रेसुङ्गा दर्शन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | २४-०७७/१/२३ | ४८०००० | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | ९७२९०६ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | <p>कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा लागत अनुमानको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेश गर्न सकिने र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।१।१५ को निर्णयअनुसार खर्च गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको २ प्रतिशत र अन्य सानातिना खर्च ३ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रत्येक कार्यक्रम खर्चबाट ४ प्रतिशत का दरले बिलबाट यस्तो रकम कट्टी गर्ने गरेको छ । कार्यालयले आ.व २०७६/७७ मा कन्टिन्जेन्सी बापत रु कट्टी गरेको छ । यसरी कट्टी गरेको रकमको कार्यक्रमगत कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेमा राख्ने गरेको छैन ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | <p>छत्रकोट रिडरोड निर्माण सम्बन्धमा २३४-०७७/३/३१ वासुरी निर्माण सेवासंग छत्रकोट रिडरोड निर्माण कार्यको लागत अनुमान रु.२४१९१५२/- (मू.अ.कर समेत) को बोलपत्रको माध्यमबाट रु.९९४२९१७/- (मू.अ.कर समेत) सम्झौता भै रु.७९३९१३६/- खर्च भएको छ । सो सम्बन्धमा निम्न व्यहोरा देखियो । (क) सम्झौतामा साल नखुलाई जुलाई ७ मा सम्झौता भएको उल्लेख छ काम सम्पन्न गर्नु पर्ने २०७६/३/१५ र काम शुरु गर्नुपर्ने मिति २०७६/१/३० उल्लेख भएको देखिन्छ । यस प्रकार सम्झौतामा उल्लेख भएको जुलाई ७ आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को २०७७ आषाढ २३ गते पर्ने देखिन्छ र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति २०७६/३/१५ र कार्य शुरु गर्नु पर्ने मिति २०७७/१/३० उल्लेख भएको हुदाँ तिथिमितिमा कुनै तालमेल भएको देखिएन । (ख) निर्माण व्यावसायीले मू.अ.कर विजक नं.१२-०७७/३/३१ को विजक अनुसार मू.अ.कर समेत रु.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं., मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-----|--|---------------------------|
| | <p>७९,३९१३६/- पेश भए अनुसार खर्च लेखेको र बढी भुक्तानी भएको रु.११८८६६२/- रा.वा.बैक.लि.को बैंक भौचर नं.४७०५४१२ वाट मिति २०७७/५/२८ मा मात्र राजश्व शिर्षक नं.१५१११ मा दाखिला भएको छ । गोश्वारा भौचर साथ ठेक्का सम्बन्धि विलमा उल्लेख गर्नुपर्ने ठेक्कापट्टा संख्या कार्यारम्भ आदेश मिति, सम्पन्न गर्नुपर्ने, सम्पन्न भएको, नापी किताव नं. कुनै उल्लेख नभएको साथै पेश गर्ने,जाच गर्ने स्विकृति गर्ने पदाधिकारीको दस्तखत सम्म भएको नाम र मिति समेत नखुलेको अवस्था छ । ठेक्का सम्बन्धि विलमा अन्तिम विल उल्लेख भएको र PS आइटम रु.१३४०००/- बाटो खन्ने पूर्ण काम मू.अ.कर समेत रु.६७५०४७४/- गरी जम्मा रु.६८८४४७४/- को समावेश भएको छ । उक्त रकम मध्ये बाटो खन्ने पूर्ण काम मात्रको खर्च कायम गरी बढी भुक्तानी भएको रकम दाखिला भएको अवस्थाले गर्दा आषाढ महिनाको अन्त्यमा खर्च लेखांकन गरी वास्तविक काम तथा भुक्तानी आषाढ महिना पश्चात भएको प्रष्ट हुन आएकोले यस प्रकारको कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।</p> | |
| 45. | <p>पिपलनेटा दिगाम धरमपानी मानकोट दौघा फसोटाकुरा मोटरवाटो निर्माण: निर्माण व्यवसायी पुष्पाञ्जलि निर्माण सेवासंग लागत अनुमान रु.१२६९४२०७/- (मू.अ.कर समेत) को बोलपत्रको माध्यमबाट मिति २०७७/२/३० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु.९४६४८४२/- (मू.अ.कर समेत) को मिति २०७७/२/७ गते ठेक्का सम्झौता भई दोस्रो अन्तिम विल सम्म रु.८९९००९४/- (मू.अ.कर) समेत भुक्तानी भएको छ । सो सम्बन्धमा निम्न ब्यहोरा देखियो ।</p> <p>(क) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को न यम १२० मा सम्झौताको अवधिभित्र पूरा गर्न नसकिने भएमा सम्झौताको म्याद सकिनु कम्तिमा २१ दिन अगावै मनासिव कारण सहितको निवेदन पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन मिति २०७७/२/१८ उल्लेख गरि दिएको पत्र योजना शाखाबाट मिति २०७७/२/३१ मा तोक सम्म लगाएको पालिकामा दर्ता नभएको र म्याद थप प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वाट मिति २०७७/३/३१ सम्म थप भएको छ । यस प्रकार मिति २०७७/२/७ मा म्याद २३ दिनको पत्र अवधि राखी मसझौता भएको र कोभिडको कारण जनाई म्याद थप माग गर्नु जायज तथा मनाशिव कारण देखिएन । सम्झौता गर्दाको अवस्था नै कोभिड महामारीको अवस्था भएको अवस्थामा सम्झौता गरी कोभिडको कारण देखाई म्याद थप गर्न उचित देखिएन । अतः म्याद थप गर्ने पदाधिकारी समेत जिम्मेवार बनाइ नियम २१२ बमोजिम सम्झौता अंकको प्रतिदिन ०.०५% ले ०७७/३/१ देखि ०७७/३/३१ सम्मको हर्जना असुल गर्नुपर्ने रु.</p> <p>(ख) निर्माण व्यावसायीबाट सम्झौता अनुसार कार्य अगाडि बढि रहेको अवस्थामा अत्याधिक वर्षातका कारण सो कार्य गर्ने क्षेत्रमा रहेका घरहरु जोखिममा रहि तत्काल उक्त घरहरुलाई पहिरो तथा भुक्षयबाट रोकथाम नगरी इष्टिमेट अनुसार कार्य अगाडि वढाउन नसकिएको हुदा ठेक्का सम्झौताको लागत अनुमानमा स्टोन मेशिनरीमा ८०.१४ घनमिटर थप गरि ६३९.२५ घन मिटर गर्नुपर्ने र पि.सि.सि.१९६.६५ घन मिटर गर्नुपर्नेमा १३३.९० मात्र गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएकोले लागत अनुमान संसोधन गर्न इन्जिनियरबाट पेश भै अध्यक्षजू बाट स्विकृत भएको देखियो । यस संसोधन गरिए अनुसार स्टोन ६३९.२९ घ.मि. मात्रको भुक्तानी हुनु पर्नेमा ६४०.४१ घ.मि.को भुक्तानी भएकोले बढी उल्लेख गरेको १.१२ घ.मि को दर ७५००/- ले मू.अ.कर समेत असुल गर्नुपर्ने रु..</p> | <p>१४६७०५</p> <p>९४९२</p> |
| 46. | <p>प्राविधिक मूल्याङ्कन बढी उल्लेख गरी भुक्तानी :</p> <p>(क) १५७-०७७/३/२७ विरवास कोलधरी वर्जिया सिस्ने चन्द्रकोट मोटरवाटो उ.स.संग कोर्लुड सिस्ने खण्डको मोटरवाटोको लागत अनुमान रु.३४९०१००/- मा जनसहभागिता रु.४३४९००/- र पालिकाले रु.२९७६०००/- व्यहोर्ने गरी मिति २०७७/२/१४ मा सम्झौता भई कार्य गरेको उक्त कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन रु.३४९२९५६/- मा पालिकाले रु.२९७६०००/- खर्च लेखेको छ । उक्त खर्च सम्बन्धित फाँटवारी परीक्षण गर्दा उपभोक्ताले न्यु भुसाल ट्रेडर्सबाट २५० वोरा सिमेन्ट खरिद गरेको देखिन्छ । पालिकाले लागत अनुमान तयार गरिएको निम्न कार्यमा नर्मस अनुसार २५० वोरा सिमेन्ट</p> | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----|-------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|----------|-------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|-------|--------|
| | <p>लाग्ने देखिन्छ र उपभोक्ताले सोहि परिमाण खरिद गरेको छ तर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा लागत अनुमान परिमाण भन्दा बढी मूल्याङ्कन गरिएको रु.१५४७८७/- भएको देखियो । अतः लागत अनुमान अनुसार लागने सिमेन्ट खरिद गरिएको तर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा बढी देखाएको रु.१५४७८७/- मा सम्झौता अनुसार अनुपातिक हिसावले सम्बन्धित प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई असूल गर्नुपर्ने रु...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>लागत अनुमान अनुसार</th> <th>परिमाण</th> <th>लाग्ने सिमेन्ट</th> <th>प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार परिमाण</th> <th>बढि परिमाण</th> <th>बढी परिमाणको रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पि.सि.सि. वेड एम १५</td> <td>५.८४ घ.मि.</td> <td>३७.३७</td> <td>७.०२ घ.मि</td> <td>१.१८ घ.मि</td> <td>१३८२४</td> </tr> <tr> <td>स्टोन मेशिनरी १:४</td> <td>६१.५६ घ.मि.</td> <td>२११.६६</td> <td>७६.०४ घ.मि</td> <td>१४.४८ घ.मि</td> <td>१४०९६३</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ख) २६३-०७७/३/३१ वडा नं. ३ कार्यालय भवन निर्माण उ.स.संग लागत अनुमान रु.४५२४८०५/- मा जनसहभागिता रु.६८४८०५/- र पालिकाले रु.३८४००००/- व्यहोर्ने गरी सम्झौता भई गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन रु.४३६४२१५/- गरी रु.३७०३७१५/- भुक्तानी गरिएको फाँटवारी परीक्षा गर्दा निम्न कार्यमा उपभोक्ताले खरिद गरिएको सामानको तुलना लागत अनुमानमा पेश भएको परिमाणसंग विश्लेषण गर्दा नर्मस अनुसार हुने परिमाण भन्दा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा रु.६९६३८/- को बढी मूल्याङ्कन गरेको देखिएकोले सम्झौता अनुसार अनुपातिक हिसावले सम्बन्धित प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाइ उपभोक्ताबाट असूल हुनुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कामको विवरण</th> <th>खरिद परिमाण</th> <th>नर्मस अनुसार हुने परिमाण</th> <th>प्राविधिक मूल्याङ्कन परिमाण</th> <th>बढी परिमाण</th> <th>दर</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>इटोको काम</td> <td>१४००० वटा</td> <td>२५ घ.मि</td> <td>२६.९१ घ.मि</td> <td>१.९१ घ.मि</td> <td>१८१४८/८८</td> <td>३४६६४</td> </tr> <tr> <td>फलामको काम</td> <td>५८११ के.जि</td> <td>५८११ के.जि</td> <td>६०९८.३६ के.जि</td> <td>२८७.३६ के.जि</td> <td>१२१/७७</td> <td>३४९७४</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">जम्मा</td> <td>६९६३८</td> </tr> </tbody> </table> <p>(३) ३-०७७/३/२९ मैनाडाँडा लिफ्ट खा.पा आयोजनासंग लागत अनुमान रु.११२२८५४/- मा जनसहभागिता रु.१६२८५४/- र पालिकाले रु.९६००००/- व्यहोर्ने गरि सम्झौता भई कार्य गरेको मूल्याङ्कन रु.११२३०००/- मा पालिकाले रु.९६००००/- भुक्तानी गरेको फाँटवारीमा उपभोक्ता समितिले नेपाल ब्ल्याक गोल्ड एण्ड सप्लाइड इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.बाट HDPE पाइप रु.३७६४५७ मात्र खरिद गरिएको तर प्राविधिक मूल्याङ्कन मा रु.३९३३७७/- उल्लेख गरिएको हुदा वास्तविक खरिद भन्दा बढी प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिएको रु.१६९२०/- मा सम्झौता अनुसार अनुपातिक हिसावले सम्बन्धित प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई उपभोक्ता समितिबाट असूल हुनुपर्ने रु.</p> | लागत अनुमान अनुसार | परिमाण | लाग्ने सिमेन्ट | प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार परिमाण | बढि परिमाण | बढी परिमाणको रकम | पि.सि.सि. वेड एम १५ | ५.८४ घ.मि. | ३७.३७ | ७.०२ घ.मि | १.१८ घ.मि | १३८२४ | स्टोन मेशिनरी १:४ | ६१.५६ घ.मि. | २११.६६ | ७६.०४ घ.मि | १४.४८ घ.मि | १४०९६३ | कामको विवरण | खरिद परिमाण | नर्मस अनुसार हुने परिमाण | प्राविधिक मूल्याङ्कन परिमाण | बढी परिमाण | दर | जम्मा | इटोको काम | १४००० वटा | २५ घ.मि | २६.९१ घ.मि | १.९१ घ.मि | १८१४८/८८ | ३४६६४ | फलामको काम | ५८११ के.जि | ५८११ के.जि | ६०९८.३६ के.जि | २८७.३६ के.जि | १२१/७७ | ३४९७४ | जम्मा | | | | | | ६९६३८ | १३५०८२ |
| लागत अनुमान अनुसार | परिमाण | लाग्ने सिमेन्ट | प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार परिमाण | बढि परिमाण | बढी परिमाणको रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पि.सि.सि. वेड एम १५ | ५.८४ घ.मि. | ३७.३७ | ७.०२ घ.मि | १.१८ घ.मि | १३८२४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्टोन मेशिनरी १:४ | ६१.५६ घ.मि. | २११.६६ | ७६.०४ घ.मि | १४.४८ घ.मि | १४०९६३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कामको विवरण | खरिद परिमाण | नर्मस अनुसार हुने परिमाण | प्राविधिक मूल्याङ्कन परिमाण | बढी परिमाण | दर | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| इटोको काम | १४००० वटा | २५ घ.मि | २६.९१ घ.मि | १.९१ घ.मि | १८१४८/८८ | ३४६६४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| फलामको काम | ५८११ के.जि | ५८११ के.जि | ६०९८.३६ के.जि | २८७.३६ के.जि | १२१/७७ | ३४९७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | | ६९६३८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | <p>कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ (२) मा कुनै निर्माण कार्य सम्पन्न भई त्रुटी सच्याउने दायित्वको अवधि समाप्त भएपछि प्राविधिक कर्मचारीबाट जाँचबुझ गराई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम त्रुटी सच्याउने दायित्वको अवधि समाप्त भएपछि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएकोले त्यस्तो निर्माण कार्य स्वीकृत ड्रइड डिजाइन वा स्पेसिफिकेशन बमोजिम भए नभएको यकिन हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।</p> | १४४६५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | <p>सार्वजनिक परीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिमको कार्य भएको पाइएन । सार्वजनिक परीक्षणको अभावमा आर्थिक कारोबारमा जवफदेहिता र पारदर्शिताको प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा बाधा पर्ने देखिन्छ । सामाजिक परीक्षण गराएको भए कति पटक गराएको र यसमा भएको खर्च समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | <p>डीपीआर खर्च — बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगायतको अध्ययत गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------|--|--|---------------|--------|--|
| | <p>देहायबमोजिमको कार्य परामर्शदाताबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्य विवरण</th> <th>परामर्शदाता</th> <th>स्वीकृत रकम</th> <th>खर्च रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>छत्रकोट चक्रपथ</td> <td>सेभेन कलर्स मल्टिप्रोज कन्सलटेन्सी</td> <td>३५००००</td> <td>३५००००</td> </tr> <tr> <td>कोशल पोखेल स्मृति खेल मैदान</td> <td>सेभेन कलर्स मल्टि प्रोज कन्सलटेन्सी</td> <td></td> <td>३५००००</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>जम्मा:</td> <td>७०००००</td> </tr> </tbody> </table> <p>यस्तो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन । डी.पी.आर.तयार गर्दा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा आगामी दिनमा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्दछ । साथै यसरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा गएको समेत नदेखिएकोले खर्चको सार्थकता समेत देखिएन ।</p> | कार्य विवरण | परामर्शदाता | स्वीकृत रकम | खर्च रकम | छत्रकोट चक्रपथ | सेभेन कलर्स मल्टिप्रोज कन्सलटेन्सी | ३५०००० | ३५०००० | कोशल पोखेल स्मृति खेल मैदान | सेभेन कलर्स मल्टि प्रोज कन्सलटेन्सी | | ३५०००० | | | जम्मा: | ७००००० | |
| कार्य विवरण | परामर्शदाता | स्वीकृत रकम | खर्च रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
| छत्रकोट चक्रपथ | सेभेन कलर्स मल्टिप्रोज कन्सलटेन्सी | ३५०००० | ३५०००० | | | | | | | | | | | | | | | |
| कोशल पोखेल स्मृति खेल मैदान | सेभेन कलर्स मल्टि प्रोज कन्सलटेन्सी | | ३५०००० | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा: | ७००००० | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | <p>प्रशासनिक खर्चको आधार :- कार्यालयले प्रशासनिक कार्यको लागि बजेट विनियोजन गर्दा कार्यालयले गर्ने विभिन्न कार्य र सो कार्य गर्न खरिद गर्नु पर्ने सामान,सेवा वा महसूलको आधारमा कार्यालयको जनशक्ति,मातहतका वडा आदिलाई आधार लिनु पर्दछ । कार्यालयले प्रशासनिक खर्चमा रकम विनियोजन गर्दा लिएको आधार स्पष्ट भएन । प्रशासनि कार्यको लागि रकम विनियोजन गर्दा निश्चित आधारमा विनियोजन गरी न्यून प्रशासनिक खर्चमा अधिक उपलब्धि हुसल गर्नु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | <p>प्रशासनिक खर्च सम्बन्धमा:- कार्यालयको प्रशासनिक खर्च तर्फ चालू तथा पूँजीगत बजेटबाट कार्यालय संचालन, मेशिनरी औजार,फर्निचरमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतमा समेत प्रशासनिक प्रयोजनका लागि बजेट स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको शर्त बजेट तथा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतमा समेत प्रशासनिक कार्यका लागि रकम विनियोजन भएको छ । यस अतिरिक्त कार्यालयले निर्माण कार्यको कन्टेनजेन्सीबाट समेत प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने गरेको छ । विभिन्न शिर्षकबाट गरिएका प्रशासनिक खर्चको एकिकृत विवरण नराखिएकोले प्रशासनिक खर्चको विश्लेषण गर्न सकिएन । धेरै शिर्षकबाट प्रशासनिक खर्च गर्ने तर एकिकृत विवरण तयार नगर्दा कार्यालय संचालन लगायतमा अनावश्यक खर्च हुन सक्ने,मितव्ययिता नहुने जस्ता जोखिम रहन सक्ने भएकोले आन्तरिक नियन्त्रण तथा पारदर्शिताको लागि सबैशिर्षकबाट भएको प्रशासनिक खर्चको एकिकृत विवरण तयार गर्नु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | <p>खरिद व्यवस्थापन :- सार्वजनिक खरिद नियामवली,२०६४ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारवाही तयार गर्दा खरिद आवश्यकताको पहिचान माग संकलन गर्ने,खरिद सम्बन्धी विभिन्न प्राविधिक कुरा समाधान गर्न र आपूर्तिकर्ताको उपलब्धता यकिन गर्न बजारमा प्रचलित खरिद संम्झौताको जानकारी लिने,अघिल्ला वर्षहरुमा समान प्रकृतिको मालसमान,निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा अन्य सेवा खरिद गरिएको भए त्यस्तो खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्ने,खरिद विवरण तयार, परिमाण र क्षेत्र यकिन गर्ने,खरिदलाई बढी सुविधाजनक समुह विभाजन गर्ने वा प्याकेजमा समावेश गर्ने, खरिद योजना तयार गर्ने,खरिदको लागत अनुमान तयार गर्ने,खरिदको आर्थिक स्रोत र रकम पहिचान गर्ने,खरिद विधि छनौट गर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.1. | <p>कार्यालयको दैनिक प्रशासन संचालनको लागि चालु तथा पूँजीगत खर्च शिर्षकबाट मसलन्द,छपाई,विविध प्रकारका सामाग्री खरिदको लागि कार्यालय संचालनमा, मेशिनरी औजारमा,फर्निचरमा खर्च गरेको संघिय तथा प्रदेश सरकारको शर्त बजेट बाट समेत विभिन्न सामान खरिद गरिएको छ । कार्यालयले सामान खरिदको लागि माग संकलन,लागत अनुमान तयारी,,सामानको प्रकृति अनुसार समुह विभाजन र प्रत्येक समूहको रकम परिमाण अनुसार खरिद विधि छनौट गरी खरिद गरेको पाईएन । कार्यालयमा प्रयोग हुने कतिपय सामान कार्यालयबाट खरिद गरेको भए पनि विषयत शाखाबाट खरिद गरी कर्मचारीले सोधभर्ना माग गरेको तथा कतिपय सामान पेशकीबाट खरिद गरेको देखियो । त्यस्तै शिक्षा,कृषि,पशु,सामाजिक विकासको लागि</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं., मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|--------|--------------------|---|-------------------------|------------|---|------------------------------------|--------------|--------|-------|------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|------|------------|------------------------|-------------|--------------|--|--------------|--|--|--|-------|
| | छुट्याईएको अधिकांश बजेट सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले पेशकीबाट खरिद गरेकोमा खरिद गरिएको रकम सम्बन्धित सप्लायर्स तथा सेवा उपलब्ध गराउनेलाइ दिएको भरपाइ वा बैंक ट्रान्सफर गरेको समेत देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.2. | सामान प्रयोग गर्ने वा सेवाग्राहीलाई सामान वितरण गर्ने जिम्मा पाएको व्यक्तिले आफै कार्यक्रम तयार गर्ने, आफै पेशकी लिने वा माल सामान पेशकीबाट खरिद गरी सोधभर्ना लिई आफै वितरण गर्दा आन्तरिक नियन्त्रणको अभावमा बजार मूल्य भन्दा बढीमा बस्तु वा सेवा प्राप्त हुन सक्ने भएकोले बस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान अनुसार सोझै, दरभाउपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र लगायतका उपयुक्त खरिद विधि छनौट गर्ने, बिक्रेतालाई सोझै भुक्तानी गर्ने लयागतका प्रक्रिया अवलम्बन गरी खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.3. | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा ५ लाख सम्मको मालसमान खरिद ३ आपूर्तिकर्ताबाट दरभाउपत्र लिई सबै भन्दा घटी रकम प्रस्ताव पेश गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले दरभाउपत्रबाट खरिद गरेका सामानको भुक्तानी दिएको भौचर साथ ३ दरभाउपत्र संलग्न गरेको भएपनि दरभाउपत्रको फोटोकपि संलग्न गरेको, तुलनात्मक तालिका बनाई स्वीकृत गराउने नगरेको, आपूर्तिकर्तालाई पत्राचार गरी दरभाउपत्र माग नगरेको, दरभाउपत्र बाट मालसमान खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका आपूर्तिकर्तालाई लिखित पत्राचार गरी सक्कल प्रति दरभाउ लिने प्राप्त दरभाउपत्र दर्ता गर्ने, तुलनात्मक तालिका तयार गर्ने लगायतका कार्य गरी खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | <p>कार्यक्रमको अनुगमन:- सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले देहाय अनुसार कृषि, पशु, शैक्षिक सेवा, सामान खरिदमा अनुदान खर्च लेखेको छ । तर पालिकाबाट वितरण भएको अनुदानको सहि सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय गरेका छैन । तसर्थ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अनुदानग्राहीको जीवनस्तरमा सुधार आएको यकिन गरी रकमको पूर्ण सदुपयोग गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गौ.भौ.नं.र.मिति</th> <th>रकम</th> <th>विवरण</th> <th>अनुदान पाउने</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४७१।०७७।३।३० गा पा चालु</td> <td>३०००००</td> <td>बाखापालन तथा बंगुर</td> <td>वडा नं ४ उत्पिडित समुदाय लाइ बाखा र बंगुर</td> </tr> <tr> <td>५१६।०७७।३।३१ गा पा चालु</td> <td>११००००</td> <td>बंगुर तथा बाखापालन</td> <td>वडा नं ४ जनजाति बंगुर तथा बाखापालन</td> </tr> </tbody> </table> <p>कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कार्यक्रमहरु निश्चित प्रतिशत अनुदानमा संचालन हुने हुँदा कृषकसँग प्रस्ताव माग गरी कार्यालय र कृषकले व्यहोर्ने अनुदानको सम्बन्धमा स्पष्ट गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने, कृषकले दिएको अनुदान रकमबाट उद्देश्य अनुरूपको कार्य भए नभएको सम्बन्धमामा अनुगमन गरी अनुदानलाई प्रतिफलमुखि बनाउनु पर्दछ ।</p> | गौ.भौ.नं.र.मिति | रकम | विवरण | अनुदान पाउने | ४७१।०७७।३।३० गा पा चालु | ३००००० | बाखापालन तथा बंगुर | वडा नं ४ उत्पिडित समुदाय लाइ बाखा र बंगुर | ५१६।०७७।३।३१ गा पा चालु | ११०००० | बंगुर तथा बाखापालन | वडा नं ४ जनजाति बंगुर तथा बाखापालन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गौ.भौ.नं.र.मिति | रकम | विवरण | अनुदान पाउने | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७१।०७७।३।३० गा पा चालु | ३००००० | बाखापालन तथा बंगुर | वडा नं ४ उत्पिडित समुदाय लाइ बाखा र बंगुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१६।०७७।३।३१ गा पा चालु | ११०००० | बंगुर तथा बाखापालन | वडा नं ४ जनजाति बंगुर तथा बाखापालन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | <p>कार्यक्रमबाट खाजा लगायतको भुक्तानी पालिकाबाट सञ्चालित हुने योजना तथा कार्यक्रमहरुको बजेटबाट तोकिएका कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न पाउनेमा देहाय बमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा उपभोक्ताहरुले खाजा खाना लगायतका बिल भरपाइ पेश गरेको आधारमा पालिकाले भुक्तानी दिएकोले त्यस्तो साधारण प्रकारको खर्च भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएको रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गौ भौ नं</th> <th>रकम</th> <th>खाजा समेत भुक्तानी</th> <th>ब उ शि नं</th> <th>उपभोक्ता समितिको नाम र काम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४७१।०७७।३।३०</td> <td>३०००००</td> <td>२४५००</td> <td>गा पा चालु</td> <td>वडा नं ४ उत्पिडित समुदाय लाइ बाखा र बंगुर</td> <td>खाजामा खर्च गरेको</td> </tr> <tr> <td>५१६।०७७।३।३१</td> <td>११००००</td> <td>४२९४०</td> <td>गा पा चालु</td> <td>वडा नं ४ जनजाति बंगुर तथा बाखापालन</td> <td>मेटल आराम बेच्च ४ वटा</td> </tr> <tr> <td>४६८।०७७।३।३०</td> <td>६००००</td> <td>४३८०</td> <td>गा पा चालु</td> <td>वडास्तरीय डष्टविन खरिद</td> <td>खाजामा खर्च</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>७१८२०</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | गौ भौ नं | रकम | खाजा समेत भुक्तानी | ब उ शि नं | उपभोक्ता समितिको नाम र काम | कैफियत | ४७१।०७७।३।३० | ३००००० | २४५०० | गा पा चालु | वडा नं ४ उत्पिडित समुदाय लाइ बाखा र बंगुर | खाजामा खर्च गरेको | ५१६।०७७।३।३१ | ११०००० | ४२९४० | गा पा चालु | वडा नं ४ जनजाति बंगुर तथा बाखापालन | मेटल आराम बेच्च ४ वटा | ४६८।०७७।३।३० | ६०००० | ४३८० | गा पा चालु | वडास्तरीय डष्टविन खरिद | खाजामा खर्च | जम्मा | | ७१८२० | | | | ७१८२० |
| गौ भौ नं | रकम | खाजा समेत भुक्तानी | ब उ शि नं | उपभोक्ता समितिको नाम र काम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७१।०७७।३।३० | ३००००० | २४५०० | गा पा चालु | वडा नं ४ उत्पिडित समुदाय लाइ बाखा र बंगुर | खाजामा खर्च गरेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१६।०७७।३।३१ | ११०००० | ४२९४० | गा पा चालु | वडा नं ४ जनजाति बंगुर तथा बाखापालन | मेटल आराम बेच्च ४ वटा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४६८।०७७।३।३० | ६०००० | ४३८० | गा पा चालु | वडास्तरीय डष्टविन खरिद | खाजामा खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ७१८२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------|--------|---|-------|------|---|--------------|--------|--|--------|------|--------------------|-------|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|-------|
| 55. | <p>बढी भुक्तानी देहायका कार्यक्रमहरुको पेशकी फछ्यौट गरेकोमा देहाय अनुसार बिल भरपाइ पेश भएकोले बढि भुक्तानी भएको रु १९५०।०० असुल हुनुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं र मिति</th> <th>खर्च रकम</th> <th>पेशकी फछ्यौट रकम</th> <th>बिल भरपाइ रकम</th> <th>नपुग रकम</th> <th>बिबरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५५११०७७।३।३१</td> <td>४९८००</td> <td>४९८००</td> <td>४७८५०</td> <td>१९५०</td> <td>अपाइ लभित कार्यक्रम अन्तर्गत अशोक श्रेष्ठको नाउँको पे फ</td> </tr> <tr> <td>५५२१०७७।३।३१</td> <td>१४८८००</td> <td>१४८८००</td> <td>१३९२००</td> <td>९६००</td> <td>खिमलाल पन्थको पे फ</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>११५५०</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | गो भौ नं र मिति | खर्च रकम | पेशकी फछ्यौट रकम | बिल भरपाइ रकम | नपुग रकम | बिबरण | ५५११०७७।३।३१ | ४९८०० | ४९८०० | ४७८५० | १९५० | अपाइ लभित कार्यक्रम अन्तर्गत अशोक श्रेष्ठको नाउँको पे फ | ५५२१०७७।३।३१ | १४८८०० | १४८८०० | १३९२०० | ९६०० | खिमलाल पन्थको पे फ | जम्मा | | | | ११५५० | | ११५५० | | | | | | |
| गो भौ नं र मिति | खर्च रकम | पेशकी फछ्यौट रकम | बिल भरपाइ रकम | नपुग रकम | बिबरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५५११०७७।३।३१ | ४९८०० | ४९८०० | ४७८५० | १९५० | अपाइ लभित कार्यक्रम अन्तर्गत अशोक श्रेष्ठको नाउँको पे फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५५२१०७७।३।३१ | १४८८०० | १४८८०० | १३९२०० | ९६०० | खिमलाल पन्थको पे फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | ११५५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | <p>तालिम सम्बन्धमा यस पालिकाको पाँचौँ गाउँसभाको बैठकबाट प्रदेश सरकारबाट जारी भएको भन्दा बढी हुनेगरी तालिमको नमर्स तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिएको छ । यसरी तालिम सञ्चालन भएकोमा नमर्स भन्दा बढी हुनेगरी भुक्तानी दिएको देखिएकोले देहायमा उल्लेख गरिए अनुसार रु ८७३८०।०० असुल गरी राजस्व दाखिला हुनुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं र मिति</th> <th>रकम</th> <th>बिबरण</th> <th>भुक्तानी भएको</th> <th>नमर्स अनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने रकम</th> <th>बढी भुक्तानी रकम पारिश्रमिक कर कट्टा गरीसकेपश्चात</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४७।०७६।७।१४</td> <td>४२०७५०</td> <td>मेलमिलापकर्ताहरुको लागि आधारभुत तालिम मिति २०७६।६।१० देखि १७ गतेसम्म ८ दिन सञ्चालन भएको सहभागी संख्या ३४ जना पालिकाले तयार गरेकाको नमर्स अनुसार देहाय अनुसार बढी भुक्तानी</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>नमर्समा सेसन १:३० घण्टाको एक सेसनले ३२ सेसन हुनुपर्नेमा १:१५ घण्टाको बनाइ कुल ५४ सेसनको रु ३४००।०० ले भुक्तानी भएकोले २२ सेसनको रु ३४००।०० ले बढी भुक्तानी</td> <td>७४८००</td> <td>००</td> <td>६३५८०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>नमर्स अनुसार प्रति सेसन रु २५००।०० हुनुपर्नेमा रु ३४००।०० ले भुक्तानी भएकोले ३२ सेसनको</td> <td>१०८०००</td> <td>८००००</td> <td>२३८००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>८७३८०</td> </tr> </tbody> </table> | गो भौ नं र मिति | रकम | बिबरण | भुक्तानी भएको | नमर्स अनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने रकम | बढी भुक्तानी रकम पारिश्रमिक कर कट्टा गरीसकेपश्चात | ४७।०७६।७।१४ | ४२०७५० | मेलमिलापकर्ताहरुको लागि आधारभुत तालिम मिति २०७६।६।१० देखि १७ गतेसम्म ८ दिन सञ्चालन भएको सहभागी संख्या ३४ जना पालिकाले तयार गरेकाको नमर्स अनुसार देहाय अनुसार बढी भुक्तानी | | | | | | नमर्समा सेसन १:३० घण्टाको एक सेसनले ३२ सेसन हुनुपर्नेमा १:१५ घण्टाको बनाइ कुल ५४ सेसनको रु ३४००।०० ले भुक्तानी भएकोले २२ सेसनको रु ३४००।०० ले बढी भुक्तानी | ७४८०० | ०० | ६३५८० | | | नमर्स अनुसार प्रति सेसन रु २५००।०० हुनुपर्नेमा रु ३४००।०० ले भुक्तानी भएकोले ३२ सेसनको | १०८००० | ८०००० | २३८०० | | जम्मा | | | | ८७३८० | ८७३८० |
| गो भौ नं र मिति | रकम | बिबरण | भुक्तानी भएको | नमर्स अनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने रकम | बढी भुक्तानी रकम पारिश्रमिक कर कट्टा गरीसकेपश्चात | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७।०७६।७।१४ | ४२०७५० | मेलमिलापकर्ताहरुको लागि आधारभुत तालिम मिति २०७६।६।१० देखि १७ गतेसम्म ८ दिन सञ्चालन भएको सहभागी संख्या ३४ जना पालिकाले तयार गरेकाको नमर्स अनुसार देहाय अनुसार बढी भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | नमर्समा सेसन १:३० घण्टाको एक सेसनले ३२ सेसन हुनुपर्नेमा १:१५ घण्टाको बनाइ कुल ५४ सेसनको रु ३४००।०० ले भुक्तानी भएकोले २२ सेसनको रु ३४००।०० ले बढी भुक्तानी | ७४८०० | ०० | ६३५८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | नमर्स अनुसार प्रति सेसन रु २५००।०० हुनुपर्नेमा रु ३४००।०० ले भुक्तानी भएकोले ३२ सेसनको | १०८००० | ८०००० | २३८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | | ८७३८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | <p>संघिय हस्तान्तरित पूँजीगत भेडुवा चोयगा लिफ्ट खा पा यस योजनाको कुल लागत अनुमान रु ५९६५९३५८।२४ रहेकोमा यस वर्ष पाइप र फिटिङ्सका सामानहरु सप्लाइ र डेलिभरी गर्नको लागि कुल लागत अनुमान रु ९४६५४८१।५९ रहेकोमा इ बिडिडको माध्यमबाट सबैभन्दा कम कबोल गर्ने जयराम हार्डवेयरसंग रु ७५४९८३३।५७ मा मिति ९ जुलाई २०२० मा सम्झौता गरे अनुसार रु ७५४९८३३।५७ भुक्तानी गरी पाइप र फिटिङ्स सामाहरु वडा नं ३ को सरस्वति मा वि को कोठा र खुल्ला ठाउँमा राखेको भनिएकोमा सो पाइपको जिन्सी दाखिला नभएको र यसरी पाइप खरिद गरी मौज्जात राखेको पाइएकोले ति पाइपहरु प्रयोग हुने गरी थप बजेट व्यवस्था गरी लिफ्ट खा पा योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ पालिकाको ध्यान जानुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | <p>रंगिन जस्तापात खरिद र बितरण खरको छाना विस्थापित कार्यक्रम अन्तर्गत इ बिडिडको माध्यमबाट रु ४१४९५८६।०० को हुलास स्टिल इण्डष्ट्रीज लिमिटेड सिमराबाट २६ गेजको ९ फिटका ४२७ वण्डलको प्रति वण्डल ८ पाताको दरले ३४१६ पाता खरिद गरी भुक्तानी दिएकोमा र पालिकाबाट प्राप्त बिबरण अनुसार जस्तापातको आम्दानी ३३९० पाता गरी २६ पाता कम आम्दानी बाधेको कारण स्पष्ट भएन । यसरी प्राप्त बिबरण अनुसार आम्दानी बाधेको ३३९० पातामध्ये देहाय अनुसार ३१४८ बितरण गरी २४२ पाता बाँकी देखिएको छ । यसरी जनताहरुलाई बितरण गरेको ३१४८ पाता प्रयोग गरी खरको छाना विस्थापन भए नभएको अनुगमन प्रतिवेदनको साथै प्राविधिक मूल्यांकन पेश हुनुपर्ने रु.</p> | ३८५३३६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | | | | | | | | बेरजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|-------|--------|-----------|--------------|---------|------|-----|----------------|---------------------|---------------|-------------------|-----|---------|-------|-----|------|------|-----|----------|-------|-----|------|------|-----|----------|-------|-----|------|------|----------------------|-----|----------|-------|-----|------|------|-----|----------|-------|-----|------|------|-----|----------|-------|-----|------|------|-----|----------|-------|-----|------|------|-----|----------|-------|-----|------|------|-----|----------|-------|-----|------|------|-------|--|--------|------|-------|-------|
| | गो भौ नं र मिति | रकम | पाता संख्या | वडा नं | घर संख्या | जम्मा वितरित संख्या | बाँकी | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३।०७७।३।२ ९ | ४९४९५८ ६ | ३३९० | १ | २९ | ६६८ | २४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | २ | ७ | १०६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ३ | ९ | १४६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ४ | ११ | ३१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ५ | ३३ | ९०७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ६ | ४४ | १०११ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | | १२५ | ३१४८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियमा १२१ मा खरिद सम्झौता बमोजिम समयमै सामान सप्लाई गर्न नसकेमा सम्झौता रकमको प्रति दिन ०.०५ प्रतिशत पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस पालिकाको खरको छाना विस्तारित कार्यक्रम अन्तर्गत इ विडिडको माध्यमबाट हुलास स्टिल इण्डष्ट्रीज लिमिटेड सिमरासंग २६ गेजको ९ फिटका ४२७ वण्डल सप्लाई गर्न मिति २०७७।३।१० सम्म सप्लाई गर्नेगरी रु ४९४९५८६।०० मा मिति २०७७।२।११ गते सम्झौता भएकोमा गो भौ नं ३।०७७।३।२९ बाट रु ४९४९५८६।०० भुक्तानी दिएकोमा ले तोकीएको सप्यार्सले समयमा सप्लाई नगरी र म्याद थप समेत नभएकोले मिति २०७७।३।१४ मा ४ दिन ढीलो गरी सप्लाई गरेको हुंदा रु ८२९९।०० असुल गरी राजस्व दाखिला हुनुपर्ने रु</p> | | | | | | | | | ८२९९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | संघिय सशर्त, चालु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | भौ नं २७, ०७६।१०।७ यस गाउँपालिको छत्रकोट वडा नं ५ कृष्ण प्रा वि का विद्यार्थीहरुको लागि दिवा खाजा खर्च रु ४९२६५।०० भएकोमा रु ४२२६५।०० भुक्तानी दिएकोले बढि भुक्तानी रु १०००।०० असुल गर्नुपर्ने रु | | | | | | | | | १००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | भौ नं ३४, ०७६।११।१५ तोकिएको विद्यार्थीको लागि दिवा खाजा अनुदान अन्तर्गत जन आधारभुत विद्यालयलाई पहिलो किस्तामा छुट रु १००००० मागको भुक्तानी दिएको छ । तर सो को माग फारम लगायत विद्यार्थी हाजिर तथा खर्चको कुनै भरपाई नभएकोले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु | | | | | | | | | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | भौ नं १७७, ०७७।३।३१ कोभिड १९ बाट भएको शैक्षिक क्षति न्युनिकरणको लागि निम्न एफ एम तथा रेडियोबाट कक्षा संचालन गरे बापत दिएको सेवा सम्बन्धी कार्यको लागि दिएको भुक्तानीमा १५% कर कट्टी गर्नुपर्नेमा १.५% मात्र कर कट्टि गरेकोले नपुग रकम असुल गर्नुपर्ने रु | | | | | | | | | २०७९० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>संस्थाको नाम</th> <th>बिजक नं</th> <th>मिति</th> <th>रकम</th> <th>कट्टी गरेको कर</th> <th>कट्टी गर्नुपर्ने कर</th> <th>कम कट्टी भएको</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">१ रुद्रावती एफ एम</td> <td>२८१</td> <td>०७७।३।५</td> <td>२००००</td> <td>३००</td> <td>३०००</td> <td>२७००</td> </tr> <tr> <td>२९०</td> <td>०७७।३।१७</td> <td>२००००</td> <td>३००</td> <td>३०००</td> <td>२७००</td> </tr> <tr> <td>२९६</td> <td>०७७।३।२८</td> <td>२००००</td> <td>३००</td> <td>३०००</td> <td>२७००</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">२ लोक रेडियो प्रा लि</td> <td>२५८</td> <td>०७७।३।३०</td> <td>१९०००</td> <td>२८५</td> <td>२८५०</td> <td>२५६५</td> </tr> <tr> <td>२५६</td> <td>०७७।३।२५</td> <td>१५०००</td> <td>२२५</td> <td>२२५०</td> <td>२०२५</td> </tr> <tr> <td>२५५</td> <td>०७७।३।२०</td> <td>१५०००</td> <td>२२५</td> <td>२२५०</td> <td>२०२५</td> </tr> <tr> <td>२५४</td> <td>०७७।३।१५</td> <td>१५०००</td> <td>२२५</td> <td>२२५०</td> <td>२०२५</td> </tr> <tr> <td>२५२</td> <td>०७७।३।१५</td> <td>१५०००</td> <td>२२५</td> <td>२२५०</td> <td>२०२५</td> </tr> <tr> <td>२५३</td> <td>०७७।३।१०</td> <td>१५०००</td> <td>२२५</td> <td>२२५०</td> <td>२०२५</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>१५४०००</td> <td>२३१०</td> <td>२३१००</td> <td>२०७९०</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | संस्थाको नाम | बिजक नं | मिति | रकम | कट्टी गरेको कर | कट्टी गर्नुपर्ने कर | कम कट्टी भएको | १ रुद्रावती एफ एम | २८१ | ०७७।३।५ | २०००० | ३०० | ३००० | २७०० | २९० | ०७७।३।१७ | २०००० | ३०० | ३००० | २७०० | २९६ | ०७७।३।२८ | २०००० | ३०० | ३००० | २७०० | २ लोक रेडियो प्रा लि | २५८ | ०७७।३।३० | १९००० | २८५ | २८५० | २५६५ | २५६ | ०७७।३।२५ | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | २५५ | ०७७।३।२० | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | २५४ | ०७७।३।१५ | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | २५२ | ०७७।३।१५ | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | २५३ | ०७७।३।१० | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | जम्मा | | १५४००० | २३१० | २३१०० | २०७९० |
| संस्थाको नाम | बिजक नं | मिति | रकम | कट्टी गरेको कर | कट्टी गर्नुपर्ने कर | कम कट्टी भएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ रुद्रावती एफ एम | २८१ | ०७७।३।५ | २०००० | ३०० | ३००० | २७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २९० | ०७७।३।१७ | २०००० | ३०० | ३००० | २७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २९६ | ०७७।३।२८ | २०००० | ३०० | ३००० | २७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ लोक रेडियो प्रा लि | २५८ | ०७७।३।३० | १९००० | २८५ | २८५० | २५६५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २५६ | ०७७।३।२५ | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २५५ | ०७७।३।२० | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २५४ | ०७७।३।१५ | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २५२ | ०७७।३।१५ | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २५३ | ०७७।३।१० | १५००० | २२५ | २२५० | २०२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | १५४००० | २३१० | २३१०० | २०७९० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | गाउँपालिका चालु, शिक्षा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | भौ नं ८, ०७६।८।२४ यस गाउँपालिकाद्वारा निजी विद्यालयका १८ जना शिक्षकहरुलाई ३ दिनको शैक्षिक तालिम दिए बापत सरकारी कर्मचारी सरह दैनिक ५०० का दरले भता दिएको पाइयो । निजी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरजू रकम |
|-----|--|-----------|
| | शिक्षकलाई सरकारी सरह भता दिन नमिल्ने भएकोले निजहरुबाट उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु | २७००० |
| 63. | भौ नं १७, ०७७।३।१२ राष्ट्रपती रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता कार्यक्रमको १ प्रतिवेदन लेखन बापत शिक्षा अधिकृत विष्णु प्रसाद ज्ञावलीले रु३००० बुझेको पाइयो । गा पा कार्यपालिकाको निर्णयले प्रति प्रतिवेदन रु १५०० दिन मिल्ने गरी निर्णय भएकोले बढी भुक्तानि भएको असुल गर्नुपर्ने रु | १५०० |
| 64. | भौ नं २७, ०७७।३।२१ गा पा अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त लगायत १२ जनाले मिति ०७६।१२।७, ०७६।१०।२७ र ०७७।१।१९ मा विहान ११ बजे देखि दिउँसो २:३० सम्म कार्यालय समयमा बसेको परिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बापत कर कट्टी गरि रु १५३०० भता बुझेको पाइयो । यसरी कार्यालय समयमा बैठक भता नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ निजहरुद्वारा बुझेको उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु | १५३०० |
| 65. | <p>भ्रमण खर्च: लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको । • नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको । • भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको । • कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर/गाँउपालिका गएको जनाई सो बापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको । • स्पष्ट प्रयोजन बेगर पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको । <p>अतः स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश ७ दिनको समयावधी राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्च भुक्तानीमा सम्बन्धमा स्पष्ट हुन सकिएन । त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता कायम गरि खर्चमा नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| 66. | <p>कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम २०७७ : कोभिड-१९ का कारण भविष्यमा बेरोजगारी बढ्न र दिर्घकालमा खद्य संकत पर्न सक्ने बढी प्रभावित भएका ज्यालादारी, मजदुर र साना कृषकहरुलाई व्यावसायिक खेती, रोजगारी तथा आय आर्जनमा सघाउने र भारत लगायत विदेशबाट आउने तरकारी आयातलाई घटाई व्यापार घाटामा पनि कम गराउन कोभिड लक्षित व्यावसायिक तरकारी प्रवद्धन कार्यक्रम संचालन तथा वैदेशिक रोजगारीमा गई भारत लगायत अन्य देशबाट फर्केर युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी श्रृजना गरी भविष्यमा आउन सक्ने दौय संकटको समस्या समाधान गर्न समेत सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखी विदेशबाट फर्केका र व्यावसाय उन्मुख कृषकहरुलाई कृषि विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालनको लागी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रु.४३४००००/- प्राप्त गरी २१६ जनालाई रु.४३४००००/- खर्च लेखेको छ । पालिकाले यस कार्यक्रम बाट सहयोग पाउनेहरुको विवरण अभिलेख राखी निरन्तरता दिए नदिएको अनुगमन गरिनु पर्दछ ।</p> | |
| | सामाजिक सुरक्षातर्फ | |
| 67. | <p>सामाजिक सुरक्षातर्फ बढी निकास - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तोकिएको मिति भित्रै परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा नवीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष लगत अध्यावधिक गरी लाभग्राहीको संख्या यकिन</p> | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------|------|------|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|---------|--|
| | गर्नुपर्ने, भत्ता वितरण गर्दा बैंक मार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने, केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरि अधावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर पालिकाले लाभग्राहीको लगत अधावधिक नगरी एउटै चौमासिकमा एकै व्यक्तिको नाममा दोहोरो निकास हुने गरी दोहोरो खर्च लेखेको, मृत्यू भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी बढी खर्च गरेका छन् । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को १३ नाम दर्ता र नवीकरणबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कायम हुन आएको लाभग्राहीको विवरण प्रत्येक स्थानीय तहले फागुन मसान्तभित्र विभागले सञ्चालनमा ल्याएको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को १६(घ) बैकिड प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा नगइसकेको स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित वडा समितिको रोहवरमा भत्ता रकम वितरण गर्नुपर्नेछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | विपद् व्यवस्थापन | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | कार्ययोजना : विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७(२) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमाली, २०७६ को नियम (८) मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा परिषद/कार्यकारी/प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत एकिकृत क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप हुने गरि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बजेट विनियोजन गर्न लगाउने सबै पक्षको समन्वय र संलग्न गराउने । विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत व्यवस्था गर्ने ऐन बमोजिम कार्य गरे / नगरेको अनुगमन गर्ने, विपद् सूचना प्रणाली विकास र संचालन, तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने विपद् घर परिवारको पहिचान गर्ने, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था र कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना तयारी गरी लागु गरी गर्ने, गराउने सम्बन्धि व्यवस्था छ । पालिकाले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका कार्यहरु गरेको पाइएन । ऐन तथा नियमावलीको पालना गर्नु गराउनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | विपद् व्यवस्थापन कोष : विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ । पालिकाले विपद् व्यवस्थापन खर्च खाता नयाँ र पुरानो उल्लेख गरी बैंक नगदि किताव तयार गरिएको छ । उक्त खातामा विपद् व्यवस्थापन र कोभिड - १९ को खर्च छुट्टे गरी अभिले नराखी एकमुष्ट बैंक नगदी किताव राखेको छ । अतः विपद् तर्फ र कोरोना तर्फ आम्दानी खर्च छुट्टिने गरी श्रेष्ठा तथा अभिलेख राख्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>खाताको विवरण</th> <th>आम्दानी</th> <th>खर्च</th> <th>बाकी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नयाँ खाता</td> <td>९७३९६९२</td> <td>८८४९७६२</td> <td>८९७८५०</td> </tr> <tr> <td>पुरानो खाता</td> <td>४६७९६४९</td> <td>२५१९०३७</td> <td>२१६८६१२</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>१४४१९२६१</td> <td>११३५२७९९</td> <td>३०६६४६२</td> </tr> </tbody> </table> | खाताको विवरण | आम्दानी | खर्च | बाकी | नयाँ खाता | ९७३९६९२ | ८८४९७६२ | ८९७८५० | पुरानो खाता | ४६७९६४९ | २५१९०३७ | २१६८६१२ | जम्मा | १४४१९२६१ | ११३५२७९९ | ३०६६४६२ | |
| खाताको विवरण | आम्दानी | खर्च | बाकी | | | | | | | | | | | | | | | |
| नयाँ खाता | ९७३९६९२ | ८८४९७६२ | ८९७८५० | | | | | | | | | | | | | | | |
| पुरानो खाता | ४६७९६४९ | २५१९०३७ | २१६८६१२ | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | १४४१९२६१ | ११३५२७९९ | ३०६६४६२ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | वार्षिक प्रतिवेदन - विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-------|---|------------|
| 73. | सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, उपयोग तथा हक हस्तान्तरण- स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिका ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार एवं संरक्षण गरेको अभिलेख राखेको पाइएन । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार एवं संरक्षण गर्नु पर्दछ । | |
| 74. | आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम बेरुजू : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३४ मा स्थानिय तहले लेखा तथा आर्थिक कारोवारको नियमितता मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन औल्याइएको विषय वस्तुहरु सुधार भए नभएको परिक्षण गर्न तथा आवश्यक कारवाहि गर्न लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्दछ र आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सो उपर भएको कारवाहीको प्रतिवेदन स्थानीय तहको प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख भएतापनि पालिकाले आन्तरीक लेखापरीक्षण सम्म गराई प्रतिवेदन लिने कार्य भएको सो प्रतिवेदनमा औल्याइएका विषय वस्तुहरु सुधार भए नभएको परीक्षण गर्ने तथा आवश्यक कारवाही गर्ने लेखापरीक्षण समिति गठन गरेको पाईएन । अतः पालिकाले लेखापरीक्षक समिति गठन गरी आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका विषय वस्तुहरु सुधार भए नभएको परीक्षण तथा आवश्यक कारवाही गरी प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्दछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका विषयवस्तु हरु निम्न छन । | |
| 74.1. | उपभोक्ता समितिको काम : सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, को दफा ४४ मा उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउदा वा सो सम्बन्धित सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययी, गुणस्तरीय वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परीयोजनाको मुख्य उदेश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय बाट संचालित हुने निमर्माण कार्यमा लोडर, स्काभेटर, रोलर डोजर, ग्रेडर,विटुमिन व्यालर जस्ता हेभि मेसिनहरु पर्योग गर्न नपाईने र नियम ९७ को (१०) मा उपभोक्ता समितीले पाएको कार्य आफैले सम्पन्न गर्नु पर्ने र अन्य कुनै निर्माण व्यावसायी वा अन्य कन्ट्याक्टर बाट गराउन नसकिने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समिति बाट निर्माण सम्बन्धित कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिम खरिद विधि अपनाइएको छैन । यस्ता कार्यलाई विधि अनुरूप गर्दै लैजानु पर्छ । उदाहरणको लागि प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको भौ.न. ४/२०७७/३/३१ कुडहरचौर खेल मैदानको विनियोजित बजेटमा राजेश्वरी कन्ट्रकसन प्रा.ली.बाट रु.४०२७३२/- रकमको ग्याविन जाली खरिद गरेकोमा कोटेशन नगरी सोझै खरिद गरेको पाइएकोले खरिद ऐनको परिपालना गरेको पाइएन । उपभोक्ता समितिबाट भएको निर्माण कार्यको ढिलो गरी निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा पनि म्याद थप वा अन्य कारवाही नगरी भुक्तानी गरेको पाईयो यस्तो प्रकृत्यालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| 74.2. | कार्य विवरण : निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ५ क (१) मा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको संगठनका कार्य विवरणको आधारमा प्रत्येक कर्मचारीको पदको कार्य विवरण बनाई लागु गर्नु पर्ने र त्यस्तो कार्य विवरण त्यस्तो पदको काम कर्तव्य,उत्तरदायित्व,अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रुपमा किटान भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस गा.पा.ले पनि ऐनले तोके बमोजिमको कार्य विवरण बनाई लागु गरेको नपाइएकोले सोही बमोजिम गर्नुपर्दछ । | |
| 74.3. | कन्टिनजेन्सी : गा.पा.बाट कट्टा गरीएको कन्टेनजेन्सी रकमको लेखाङ्कन गर्न छुट्टै खाता राख्नु पर्दछ । कन्टेनजेन्सी खर्च गर्दा निश्चित मापदण्ड र कार्याविधि बनाएर मात्र खर्च गर्नुपर्दछ । | |
| 74.4. | पत्रपत्रिका : वडा कार्यालयहरुमा पत्रपत्रिकाको रकम निकास गरी खर्च गरेको पाईयो । यसरी | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | बेरजू रकम |
|-------|---|-----------|
| | पत्रपत्रिकामा खर्च निकास गार्दा वडा कार्यालयहरूमा पत्रपत्रिका आए/ नआएको अनुगमन गरी यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। | |
| 74.5. | बजेट विनियोजन: गाउँसभाबाट बजेट विनियोजन गरेको योजनाहरूमा योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी दिनु अघि गाउँपालिकाको निर्णय/ विनियोजन गरेको प्रतिलिपी योजना फारमसाथ राख्नुपर्ने देखिन्छ। | |
| 74.6. | दिवा खाजा : विभिन्न विद्यालयमा दिवा खाजाको रकम भुक्तानी गर्दा विद्यार्थी संख्या खाजाको दररेट र विद्यार्थीको हाजिर पुस्तिका गोश्वर भौचर साथ राख्नु पर्ने देखिन्छ। | |
| 74.7. | छात्रवृत्ती : विभिन्न विद्यालयमा छात्रवृत्तिको रकम निकास गार्दा कस्तो विद्यार्थीको लागी छुट्टाइएको छात्रवृत्तीको प्रकार (जेहेनदार, अनुसासित, गरीब अपाङ्ग आदी) यकिन गरी प्रतिवेदन भौचर साथ राख्नु पर्ने देखिन्छ। | |
| 74.8. | भकारो सुधार : गाउँपालिका र संघीय सरकारबाट भकारो सुधार कार्यक्रम योजना पारीत गरेको पाइयो। उक्त कार्यक्रममा अनुदान वितरण गर्ने मापदण्ड तयार गरेको पाईएन। लाभग्राहीलाई कति परीमाणमा अनुदान दिने भनि मापदण्ड तयार नगरी भुक्तानी गरेको पाईएकोले कुनै पनि कृषि/ पशुपालन जस्ता कार्यमा अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्दा मापदण्ड तयार गरी गाउँपालिकाबाट भुक्तानी गर्नुपर्दछ। | |
| 74.9. | विभिन्न भौचरबाट कट्टी गरिएका रकमहरू बैंक दाखिला गर्ने भनि अर्को भौचर उठाउदा भौचर नम्बर र कुन शिर्षकको रकमबाट कट्टी गरिएको हो सो विवरण खुलाएर गोश्वरा भौचर तयार गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाइएन। | |
| 74.10 | गाउँपालिका चालु तर्फ बढि भुक्तानी : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(८) मा कुनै रकमको भुक्तानी दिदाँ रित पुगे वा नपुगेकव जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गो.भौ.नं १८१ मिति २०७६/११/२८ बाट कार्यालयले भालुपानी कृषि भवनको विजुली र पानीको रकम भुक्तानी गर्दा विलमा भएको जम्मा ७९७०।०० हुनु पर्नेमा ८०८१/- रकम भुक्तानी गरेकोले बढि भुक्तानी भएको रु.१११/५० असुल गर्नुपर्ने रु | १११ |
| 74.11 | कोरोना कोष सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २१(१) मा व्यवस्था भएको सार्वजनिक निकायले मालसामान वा अन्य सेवा खरीद अनुसुचि ३ बमोजिमको सम्झौता मध्ये कुनै एक सम्झौता गरी खरिद गर्न सक्नेछ। यस गाँउपालिकाको वडा नं. ५ को भौ.नं.३१ मा कोरोना राहत वितरणमा सामान खरिद गर्दा कम्तिमा पनि ३ वटा व्यवसायिक फर्मबाट आवश्यक सामानहरूको दररेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जम्मा दुई वटा व्यावसायिकबाट ३ प्रकारका सामानको दररेट माग गरी कोरोना राहत वितरणमा जम्मा ६ प्रकारको सामान खरिद गरेको देखिन्छ। दररेट माग गर्दा सावित्री मोटो चामलको माग गरेकोमा सोना मन्सुली चामल खरिद गरेको पाइएकोले खरिद मुल्य एउटै भएता पनि नियम विपरित भएको देखिन्छ। कोटेशन २ वटा फर्मबाट माग गरेकोमा तोरिको तेल न्यू सन्दिप खौय स्टोर्सबाट खरिद गरेको देखिन्छ। खरिद मुल्य रु१६५ प्रति लिटरले खरिद गरेको पाइयो। न्यू सन्दिप पसलमा दररेट रु१०३।०० भएकोमा खरिद गर्दा रु१०५।०० को दरले खरिद गरेको देखिएकोले पालिकाले नियममा व्यवस्था भए अनुसारको प्रावधान पालना गरी खरिद गरेको देखिएन। | |
| 74.12 | छत्रकोट गाँउपालिकाका जम्मा ६ वटा वडा र गाँउपालिकाको आम्दानी विवरण देहाय अनुसार रहेको छ। | |

| दफा | भौ.नं, मिति र ब्यहोरा | | | | बेरुजू रकम |
|-----|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------|
| | क्र.सं | वडा नं. | वैकदाखिला हुनुपर्ने | वैक दाखिला भएको जम्मा रकम | |
| | १ | १ | १२७७६८/- | १२७७६८/- | |
| | २ | २ | १४४८०१/- | १४४८०१/- | |
| | ३ | ३ | २१८४१०/- | २१८४१०/- | |
| | ४ | ४ | ३०३५८९/- | ३०३५८९/- | |
| | ५ | ५ | १७९९७६.२५ | १७९९७६.२५/- | |
| | ६ | ६ | ९४४८०/- | ९४४८८/- | |
| | ७ | गा.पा | ९९२९७८/- | १०९४७८४/- | |

वडा न. ६ मा नगदि रसिद ५६०१-५६५० सम्म १ ठेली वडा कार्यालय लगेको देखिन्छ । परीक्षण गर्दा पेश नभएकोले सो बाट प्राप्त आम्दानी गा.पा छानविन गरी व्याज समेत बैक दाखिला हुनुपर्दछ ।

| कोभिड -१९ तर्फ : | | | |
|------------------|--|---|--|
| 75. | कोभिड-१९ रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन २०७७ आषाढ मसान्त सम्म रु.११५६६९४३/- प्राप्त भइ रु.१०७२९६९४/- खर्च गरी बाँकी रु.८३७२४९/- उल्लेख गरी आम्दानी खर्चको विवरण प्राप्त भएको छ | | |
| | बजेट /आम्दानीको श्रोत | रकम | खर्च शिर्षक |
| | संघीय संचित कोषबाट | ९७७६२९४ | राहत विवरण |
| | संघ तथा व्यक्तिबाट | ७९०६४९ | क्वारेन्टाइन होल्डीङ सेन्टर निर्माण व्यवस्थापन |
| | प्रदेश कोभिड कोषबाट | १०००००० | आइसोलेसन केन्द्र निर्माण व्यवस्थापन |
| | | | जनशक्ति परिचालन |
| | | | औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरीद |
| | | | अन्य शिर्षकमा भएको खर्च |
| | | | बाँकी |
| | जम्मा | ११५६६९४३ | ११५६६९४३ |
| 76. | जोखिम आंकलन र पूर्व तयारी: पालिकाले कोभिड-१९ महामारीको जानकारी पश्चात गर्नुपर्ने तयारीहरू प्रवेश विन्दुमा निगरानी, प्रवेश विन्दुमा स्क्यानीङ्ग, समुदाय तह स्क्यानिङ्ग, इमरजेन्सि रेस्पोन्स टिम परिचालन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन केन्द्र स्थापना सम्बन्धित का कार्यहरूको कार्ययोजना तयार गरि कार्य गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको छैन। | | |
| 77. | जोखिम भत्ता : नेपाल सरकार द्वारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ को दफा ७(ड) मा अनुगमन मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न प्रशासनिक जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको शुरु तलव स्केलको ५०% र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ्गमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी, क्वारेन्टाइनमा खटिएका जनशक्तिलाई ७५% जोखिम भत्ता पदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्न बमोजिम जोखिम भत्ता रु.१९५६२२४/- खर्च लेखिएको कोभिडको आम्दानी खर्च विवरण समावेश गरेको छैन। जोखिम भत्ता गाउँपालिका चालु र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम बाट खर्च लेखेको छ । | | |
| | जोखिम भत्ता पाउने विवरण | संख्या | खर्च |
| | स्वास्थ्यकर्मी (का.स समेत) | ७ | ८९०७५ |
| | स्वास्थ्यकर्मी | ५३ | १८६७१४९ |
| | जम्मा | ६० | १९५६२२४ |
| 78. | क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन : पालिकाले २१ स्थानमा ४९२ वेड संख्यामा क्वारेन्टिन /होल्डीड सेन्टर व्यवस्थापन गरेको, दैनिक रूपमा अधिकतम २४८ संख्यामा बसेको र आषाढ मसान्तसम्म क्वारेन्टिनमा बसेका हरूको कुल संख्या ६५३ संख्याबसेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै श्रृङ्गा देउराली मा ५ वेडको क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको कुल संख्या ६५३ संख्या बसेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै श्रृङ्गा देउराली मा ५ वेडको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेको र आषाढ मसान्त सम्म २ जना बसेको विवरण उल्लेख छ । क्वारेन्टिन / होल्डीड सेन्टर निर्माण व्यवस्थापन र आइसोलेसन केन्द्र निर्माण व्यवस्थापनमा क्रमशः रु.५९०७०००/ र ६२१०९२ गरी रु.६५२८०९२/- खर्च भएको उल्लेख छ । पालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि वडाका कर्मचारी पदाधिकारीहरूलाई पेशकी उपलब्ध गराइ खर्च गर्ने गरेको देखियो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न के कति कस्ता सामानहरूको आवश्यक भएको सो को लागि कति रकम चाहिनेहो सो को विवरण तयार नगरी पेशिक दिएको र पेशिक फछ्यौट गर्दा कुन कुन शीर्षकमा के कति खर्च भएको शीर्षकगत खर्चको तेरिज तयार गरी फछ्यौट गर्ने गरेको देखिएन। अधिकांशको पेशिक लिएको रकम भन्दा दोब्बर भन्दा बढीको विल भर्पाइ पेश भइ पेशकी फछ्यौट गरी सोधभर्ना भएको देखिन्छ । अतः पालिकाले तत्काल खर्च गर्न आवश्यक खर्चको विवरण तयार गरी गराय मात्र खर्च गर्नु पर्दछ । | | |
| | वडा नं. | पेशिकलिइ खर्च गर्ने कर्मचारी/पदाधिकारी | पेशिक रकम |
| | १ | कृष्ण प्रसाद भट्टराई | ३७५००० |
| | २ | कृष्ण प्रसाद भट्टराई | २५२००० |
| | | | विल भर्पाइ पेश रकम |
| | | | ९१४९९९ |
| | | | ५१२३२५ |

| | | | |
|--------------|--------------|--------|----------------|
| ३ | खिमलाल पन्थ | ४००००० | १२३९६७४ |
| ४ | खिमलाल पन्थ | ४००००० | ७२४६९६ |
| ५ | कमल लम्साल | ७००००० | १८३७२८२ |
| ६ | अशोक श्रेष्ठ | ३००००० | ६७८९०४ |
| जम्मा | | | ५९०७००० |

79. **राहत वितरण सम्बन्धमा :** पालिकाले तत्काल गुजारा चलाउन सक्ने परिवारका लागि साहत उपलब्ध गराउन आवश्यक विवरण तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ मा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने व्यवस्था अनुसार खरिद नगरी वडा कार्यालयका कर्मचारी /पदाधिकारीहरू मार्फत विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट रु.१३५१००९/- राहत सामग्री खरिद को विल बमोजिम खर्च लेखेको देखियो ।

| वडा नं. | गो.भै. मिति | कर्मचारी / पदाधिकारीको नाम | आपूर्तिकर्ताको नाम | रकम | राहत वितरण संख्या |
|--------------|-------------|----------------------------|---|----------------|-------------------|
| १ | ३६-०७७/२/१९ | कृष्ण प्रसाद भट्टराई | टण्डन स्टोर्स सुनिल किराना एण्ड गल्ला पसल सुभपर्भात स्टोर्स | १९०६९६ | ९१ |
| २ | ३६-०७७/२/१९ | कृष्ण प्रसाद भट्टराई | पैचो जनरल स्टोर्स | १५६८२९ | ११९ |
| ३ | २४-०७७/३/२ | खीमलाल पन्थ | भुसाल स्टोर्स कण्डेल सपिड सेन्टर | २०८५२५ | १३९ |
| ४ | २४-०७७/३/२ | खीमलाल पन्थ | सन्ध्या स्टोर्स कण्डेल सपिड सेन्टर | ३४२८८७ | १९२ |
| ५ | ३१-०७/१/३१ | कमल लम्साल | न्यू सन्दिप खाद्य स्टोर न्यू सधुसुदन स्टोर्स | २२२१२४ | १३४ |
| ६ | ३५-०७७/३/१२ | असोक श्रेष्ठ | प्रतिमा इन्टरप्राइजेज न्यू सन्दिप खाद्य स्टो समेत ४ | २३०००७ | १४१ |
| जम्मा | | | | १३५१००९ | ८१६ |

80. **केश अनुसन्धान तथा कन्ट्याक्ट ट्रेस:** पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार केश अनुसन्धान तथा खोज पडतालको लागि १ टिम गठन गरी ८ जना खोजपडताल गरिएको र खोजपडतालबाट संक्रमित भएका व्यक्ति नभएको उल्लेख छ ।

81. **औषधि, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण खरीद:** पालिकाले कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल र पछि आवश्यक पर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको आवश्यकताको पहिचान गरी विवरण तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ मा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने व्यवस्था अनुसार खरिद नगर पटक पटक निम्न बमोजिम आपूर्तिकर्ताबाट रु.१६४६९८९/- को खरिद भएको प्राप्त विवरणबाट देखिन्छ । पालिकाले तत्काल र पछि आवश्यक पर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको आवश्यकता पहिचान गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार व्यवस्थित तवरले खरिद गर्नुपर्दछ ।

| क्र.सं | आपूर्तिकर्ताको नाम | खरिद रकम |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| १ | दिपेश इन्टरप्राइजेज | ९९४३५ |
| २ | मेडिकेयर ट्रेड लिंक | ४६९६९१ |
| ३ | आर्गन सर्जिकल | ६६०२० |
| ४ | हाइस्पिड | ११३००० |
| ५ | रोयल मेडिको कन्सर्न | १२८२२० |
| ६ | डि एण्डी जि सप्लायर्स | ११५६६८ |
| ७ | सिखर होमियारी | ९०४०० |
| ८ | समुद्र मेडिको | २५९९०० |
| ९ | वेस्टर्न ड्रग्स डिस्ट्रिब्युटर्स | ३०३८५३ |
| जम्मा | | १६४६९८९ |

82. भारत र अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइन पुर्याउन यातायात साधनको लागि रु.७८९३५०/- खर्च भएको विवरण मा उल्लेख छ । पालिकाले व्यवस्थित तरिकाबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइन सम्म पर्याउन अन्य पालिकाहरू संग समन्वय गर्ने कार्य गर्ने गरेको छैन त्यस्तै सवारी चालक तथा सवारी धनी संग पनि व्यवस्थित रूपमा यातायात संचालन गरी

अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउन का लागी के कति रकममा कहादेखी कहासम्म संचालन गर्न सकिने वार्ता गरी भाडा तय गर्ने गरेको अवस्था छैन। कुन दिन कुन गाडी पठाई के कति नागरिकलाई उद्धार गरेको हो सो सम्बन्धि अभिलेख राखेको अवस्था पनि छैन। सवारी चालक तथा सवारी धनीहरूलाई यातायात भाडा रकम भुक्तानी गर्दा के कति संख्यामा नागरिकलाई उद्धार गरिएको हो विवरणसम्म पनि नराखी खर्च लेखे गरेको छ । उदाहरणका लागि निम्न गोश्वरा भौचरबाट भुक्तानी गरिएको छ ।

| गो.भौ.नं. मिति | सवारी चालक /सवारी धनी | सवारी नं. | विवरण | रकम |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------|
| २-०७७/२/१८ | भिम बहादुर वि.क | लु २ ख ५२९ | गोरसिङ्गे सुनौलि देखि पालिका सम्म | ३१५०० |
| ३-०७७/२/१८ | खुमानन्द पोखरेल | लु १ ख ६९५५ | सुनौलि देखि पालिका सम्म | २८२५० |
| ४-०७७/२/१८ | दल बहादुर थापा | लु.१ ख ८१७९ | सुनौलि देखि पालिका सम्म | ३८५०० |
| ५-०७७/२/१८ | पदन राउत | लु १ ख ६२२३ | कुष्ण नगर देखि पालिका सम्म | २०००० |
| ६-०७७/२/१८ | रामजि भण्डारी | लु १ ख ८६३३ | सुनौलि देखि पालिका सम्म ३ दिन | ८४७५० |
| १०-०७७/२/१९ | खुमा नन्द पोखरेल | लु.१ ख ६९५५ | सुनौलि देखि पालिका सम्म | १११०० |
| १२-०७७/२/२ | विष्णु भण्डारी | लु.१ ज.४४३३ | कृष्णनगर देखि पालिका सम्म | ३०००० |

अनुसूची १

छत्रकोट गाउँपालिका
सञ्चित कोष विवरण
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

(रु. हजारमा)

| क्र.स. | स्थानीय तह | जिल्ला | आय | | | | | जम्मा आय | व्यय | | | | |
|--------|--------------------|--------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------|
| | | | गत वर्षको जिम्मेवारी | संघ तथा प्रदेश अनुदान | राजस्व बाँडफाड रकम | आन्तरिक आय | अन्य आय | | चालु खर्च | पूँजिगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | मौज्दात |
| | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| १ | छत्रकोट गाउँपालिका | गुल्मी | ५७५९४ | ३३२३७९ | ४८४८७ | ३०९४ | ११०८६९ | ५५२४२३ | ३१२८९४ | १२९९७४ | ३३७८५ | ४७६६५३ | ७५७७० |

अनुसूची २

बेरुजु बर्गीकरण
(विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोवार)

(रु. हजारमा)

| क्र.स. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | प्रारम्भिक बेरुजु | | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | बाँकी बेरुजु | | बाँकी बेरुजु | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|-------------------|------|-----------------------|------|--------------|------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|----------|------|-------|---|---|---|
| | | | दफा संख्या | रकम | दफा संख्या | रकम | दफा संख्या | रकम | अशुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | | | | | पेशकी | | | | | |
| | | | सैद्धान्तिक | लगती | सैद्धान्तिक | लगती | सैद्धान्तिक | लगती | | अनियमित भएको | प्रमाण कागजत पेश नभएको | राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | कर्मचारी | अन्य | जम्मा | | | |
| १ | गुल्मी | छत्रकोट गाउँपालिका | ८७ | ३० | १७५४९ | ० | ८ | ८१३८ | ८७ | २२ | ९४११ | १०५३ | १४८५ | ६८७३ | ० | ० | ८३५८ | ० | ० | ० |

अनुसूची-३

अघाबधिक बेरुजु स्थिति

(रु. हजारमा)

| क्र.स. | स्थानीय तहको नाम | जिल्ला | गत वर्ष सम्मको बाँकी | यो वर्षको फछ्यौट | बाँकी | यो वर्ष सं.प.वाट कायम भएको बेरुजु | यो वर्षको बेरुजु | कुल बाँकी बेरुजु |
|--------|--------------------|--------|----------------------|------------------|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| १ | छत्रकोट गाउँपालिका | गुल्मी | २९६०२ | १०७८० | १८८२२ | ० | ९४११ | २८२३३ |